विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। बुधवार, 18 दिसंबर 2024

तालमेल के संकेत

श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनकर जो संदेश देना चाहा, वह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं के साथ हुई उनकी बातचीत के दौरान स्पष्ट रूप में रेखांकित हुआ।

ठोस आश्वासन | सबसे बड़ी और ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में नई दिल्ली को आश्वस्त किया कि वह श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत के हितों के खिलाफ नहीं होने देंगे। उनका यह आश्वासन इस मायने में अहम है कि श्रीलंका के हंबनटोटा पोर्ट में बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक और सपोर्ट करने वाले चीनी जहाजों का खड़ा होना भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। फिलहाल जरूर श्रीलंका ने इन जहाजों के आने पर रोक लगा रखी है, लेकिन इस रोक की समयसीमा अगले साल की शुरुआत में ही समाप्त होने वाली है। देखना होगा कि श्रीलंका की दिसानायके सरकार भारत से किए अपने इस वादे को आगे किस तरह से पूरा करती है।

श्रीलंकाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा

सहयोग पर जोर | खास बात यह कि इस यात्रा में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के दीर्घकालिक नजरिये की झलक मिली। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने मुसीबत के समय उनके देश की जिस तत्परता से मदद की वह महत्वपूर्ण है और वह चाहते हैं कि भारत की मदद जारी रहे। इस संदर्भ में संयुक्त बयान की यह बात अहम हो जाती है कि दोनों नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में साझा हितों को लेकर पैदा होने वाली पारंपरिक और गैरपारंपरिक चुनौतियों का मिलकर सामना करने और इस क्षेत्र को 'मुक्त, खुला व सुरक्षित' बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई।

तमिल मसले पर लचीलापन | दोनों देशों के बीच बढ़ती करीबी का एक संकेत यह तथ्य भी है कि बदले हालात में दोनों पक्ष एक-दूसरे की मुश्किलों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसका एक उदाहरण तमिल मुद्दे पर भारत के पुराने रुख में दिखा लचीलापन भी माना जा सकता है। भारत ने यह उम्मीद जरूर दोहराई कि श्रीलंका संविधान पर पूरी तरह अमल करते हुए प्रॉविंशियल काउंसिल के चुनाव कराएगा, लेकिन बयान में संविधान के 13वें संशोधन के जिक्र से बचा गया, जिसके मुताबिक तमिल अल्पसंख्यकों को ताकत देने की बात है। यह घरेलू मोर्चे पर दिसानायके सरकार के लिए परोक्ष रूप से ही सही, पर बड़ी राहत की बात मानी जा रही है।

चीन यात्रा पर निगाहें | दिसानायके अगले महीने चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। चीनी कर्ज का जो बोझ श्रीलंका पर है, उसके मद्देनजर उन्हें चीन और भारत के बीच संतुलन बनाए रखते हुए ही बढ़ना होगा। देखने वाली बात यह होगी कि इस क्रम में वह भारत की चिंताओं को किस तरह से और किस हद तक प्राथमिकता में बनाए रखते हैं।

कभी-कभी

खामोशी की ज़ुबां

ललित वर्मा

खामोशी की अपनी जुबां होती है। मतलब होते हैं, असर होता है, उम्र होती है। जरूरी नहीं शब्दों का होना, हर जज्बात की तस्वीर बनाने के लिए। खामोशी की अपनी अदा होती है। लम्हे बिंदास हों, उदास हों या बदहवास हों। बेपरवाही से थपथपाते हुए यह उन्हें एक शक्ल दे देती है। फिर उनके चेहरे पर कोई कहानी लिख देती है। उनकी आंखों में नमी या चमक भर देती है। खामोश झील की उदासी तोड़ने के लिए जरूरी नहीं, पत्थर ही उछाला जाए। उसके कंधे पर हाथ धर दीजिए। हौले से। बस। वह खुद-ब-खुद बोल उठेगी। बिलकुल, खामोशी खुद-ब-खुद बोल उठेगी। उसकी अपनी जुबां होती है।

यकीन नहीं होता? सड़क किनारे फूल, अगरबत्ती, पेन के पाउच या ऐसी ही कोई सस्ती सी चीज बेचते 11-12 साल के उस बच्चे का चेहरा गौर से देखिए। वह घर की जिम्मेदारी कंधे पर लिए घूम रहा है। रोटी की चिंता ने पहले उसके चेहरे के सारे मनोभाव मिटाए होंगे, फिर उस कोरी स्लेट पर एक कहानी लिख दी होगी। उसे कोई ऐरा-गैरा ना सुन पाएगा, ना पढ़ पाएगा। उसे वही जान पाएगा जिसके दिल में जुर्रत होगी, अपना हाथ उस उदास झील के कंधे तक ले जाने की।

खामोशी पढ़िए 40 पार कर चुके उस चेहरे की, जो अभी-अभी भागकर ट्रेन में चढ़ा है। ट्रेन पकड़ लेने का उसका संतोष फरेबी है। उसने इन फरेबी संतोषों के पीछे छिपा रखी है महानगर में घर न खरीद पाने से उपजी कुंठा। बच्चे को बड़े स्कूल में न भेज पाने की कसक। दफ्तर के टारगेट पूरे करने की मैराथन में पीछे छूटते अपने टारगेट। जेहन में बस चुकी थकान उतारने के लिए उसके पास सुस्ताने का भी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगले ही महीने बच्चे को उसके जन्मदिन पर दिलानी है साइकल। पूरा करना है बीवी को घुमाने ले जाने का वादा। बदलना है रोज हैंग करने वाला फोन।

या सुनिए पार्क में बैठ भद्रासन करती उस बुजुर्ग मां के चेहरे की खामोशी को। वह कर तो रही है योग, लेकिन खोई हुई है विदेश में बसे बेटे को पैदा करने से बड़ा करने तक के सफर में। उसे सोने की फुर्सत नहीं थी, जब वह हुआ था। स्कूल भेजने से कॉलेज में पढ़ने तक उसकी जिंदगी बनाने में उसने खुद को भुला दिया था। एक साल पहले ही वह इस बार जल्दी आने का वादा करके गया है। मां को अब अपनी फुर्सत ही कचोट रही है इसलिए पार्क में आ जाती है योग के बहाने अपना ध्यान भटकाने।

नहीं तो कभी आईने के सामने खड़े हो जाइए। खुद को वहां से सुनिए, जहां आप सबसे ज्यादा खामोश हैं। खामोशी खुद-ब-खुद बोल उठेगी।

एकदा

सुरंग से पुल तक

बात 1926 की है। तब ऐसा माना जाता था कि सुरंग खुदवाने का काम सिर्फ गोरे अंग्रेजों के बूते की बात है, हिंदुस्तानी तो इसे कर ही नहीं सकते हैं। इस वजह से इसके ठेके केवल अंग्रेजों को ही दिए जाते थे, किसी भारतीय को नहीं। तब एक इंजीनियर हुआ करते थे, वालचंद हीराचंद। वालचंद को जब पता चला कि सरकार का रेलवे विभाग भोरघाट में सुरंगें खुदवाकर उसमें रेल पटरी बिछाने का विचार कर रहा है, तो वह फौरन उस रेल कंपनी के चीफ इंजीनियर से मिले। उन्होंने उस चीफ इंजीनियर से पूछा, क्या यह ठेका आप हमारी कंपनी को देंगे? उनकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर हंस पड़े और बोले, क्या यह काम आपसे हो पाएगा? चीफ इंजीनियर ने कहा, 'आप तो भारतीय हैं, सुरंग खुदवाना विशेष टेक्नॉलजी से जुड़ा काम है। जानबूझकर आप क्यों कुएं में क्यों गिरते हो?' वालचंद एक पल को तो हतप्रभ रह गए, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का तय कर लिया। यह ठेका कुल 42 लाख रुपए का था। उन्होंने बोली लगाई, और वह ठेका वालचंद हीराचंद कंपनी को ही मिला। उन्होंने सिर्फ दो वर्षों में ही यानी दिसंबर 1928 में यह काम पूरा कर दिया। तब वह एक साहसी उद्यमी और इंजीनियरिंग के काम में कुशल भारतीय के रूप में विख्यात हो गए। वालचंद हीराचंद ने देश में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी बनाई, जिसने बड़े-बड़े पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट पूरे किए। वह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के संस्थापक भी थे।

Subrata Dhar

संकलन : दीनदयाल मुरारका

अलग-अलग समय पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत पीछे रहा, अब सुधार का मौका

क्या वन नेशन, वन इलेक्शन ज़रूरी है

अवधेश कुमार

अपने देश में इस समय भी यह मानने वाले बहुत कम होंगे कि आने वाले कुछ वर्षों में एक निश्चित अवधि के भीतर लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इस दिशा में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और तत्परता उम्मीद जगाती है कि चुनावों का बिगड़ा हुआ क्रम पटरी पर आएगा। लोकसभा में 'एक देश एक चुनाव' विधेयक प्रस्तुत होने के बाद निश्चित रूप से कल तक इसे अव्यावहारिक और असंभव मानने वालों की सोच में बदलाव आएगा। वैसे तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित 8 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही मान लिया जाना चाहिए था कि विरोधियों की आलोचनाओं व आशंकाओं के बावजूद मोदी सरकार पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना चाहती है।

दो विधेयक | एक देश, एक चुनाव के लिए 129वें संशोधन विधेयक में स्पष्ट रूप से उन सभी बातों का जिक्र है, जिनसे यह साकार हो सकता है। इसमें दो विधेयक हैं। एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए और दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव एक साथ कराने के संबंध में। स्थानीय निकाय चुनावों पर फैसला फिलहाल टाल दिया गया है।

सरकार गिरी तो... | यह सवाल उठाया जाता रहा है कि अगर बीच में किन्हीं कारणों से सरकार गिर गई, तो क्या होगा? इसका उत्तर यह है कि लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग होने पर बचे हुए कार्यकाल के लिए ही चुनाव कराए जाएंगे। अगर विधेयक पारित हो जाते हैं, तो 2034 से पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। जिन लोगों ने कोविंद समिति की रिपोर्ट पढ़ी है, उन्हें इन बातों की जानकारी होगी। ये विधेयक उस रिपोर्ट के अनुरूप ही हैं। 2 सितंबर 2023 को गठित समिति ने विशेषज्ञों से लेकर सभी पक्षकारों से चर्चा के बाद 14 मार्च 2024 को विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को सौंपी थी।

कई जगह अब भी साथ | कोविंद समिति ने यह रेखांकित किया था और सच भी है कि अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा व लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के विधानसभा चुनाव लोकसभा इलेक्शन से कुछ पहले कराए जाते हैं। इसी तरह, आम चुनाव खत्म होने के 6 महीने के भीतर हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे होते हैं। इसके बाद दिल्ली और बिहार का नंबर आता है। तो 15 राज्यों को उनकी विधानसभा का कार्यकाल थोड़ा आगे बढ़ाने या पीछे करने से ज्यादा समस्या नहीं होगी।

एक साथ चुनाव क्यों
- देशहित के मुद्दों पर ध्यान जाएगा
- वोटबैंक की राजनीति से छुटकारा
- ज्यादा राजनीतिक स्थायित्व होगा

अस्थिरता का खतरा | 1990 और 2000 के दशक की अस्थिरता और उसकी वजह से पैदा हुई समस्याओं को जिन लोगों ने देखा है, वे निश्चित रूप से 'वन नेशन, वन इलेक्शन' चाहते होंगे। हालांकि 2010 के बाद राज्यों में स्थिरता आई है और केंद्र में भी 1999 से सरकारें स्थिर रहीं, लेकिन इसके पहले की स्थितियां भी हमारे सामने हैं। वैसी अस्थिरता के खतरे को अब भी टाला नहीं जा सकता।

जनहित पर एकजुट नहीं | हमेशा कोई न कोई चुनाव चलते रहने के कारण राजनीतिक दलों का जोर जन समर्थन बनाए रखने पर होता है। ऐसे में देशहित और जनहित के मुद्दों पर वे चाहते हुए भी एकजुट नहीं होते। इसका दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ता है। वैसे भी 1967 तक सारे चुनाव एक साथ होते थे। 1967 में 8 राज्यों में विपक्ष की जीत, कांग्रेस के भीतर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विद्रोह और विभाजन, कांग्रेस द्वारा समय पूर्व प्रदेश सरकारों को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाने और लोकसभा का चुनाव निर्धारित समय से एक वर्ष पहले 1971 में करा लेने से पूरी चुनावी व्यवस्था पटरी से उतर गई।

देशहित से दूरी | आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक साल बढ़ा दिया गया और 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार 1980 में गिर गई। इसके बाद केंद्र से लेकर राज्यों तक, अलग-अलग समय पर अस्थिरता का दौर रहा और भारत को जहां होना चाहिए, वहां नहीं पहुंच सका। राजनीतिक नेतृत्व की चिंता इस पर केंद्रित हो गई कि कैसे सत्ता में बने रहा जाए। इससे पूरे देश में ऐसे नेता और जनप्रतिनिधि आए जिनके उद्देश्य में ही देशहित और जनहित नहीं था। क्या इस स्थिति को बनाए रखना ठीक है?

कई देश अपना चुके | रामनाथ कोविंद समिति ने रिपोर्ट तैयार करने के पहले कई देशों की चुनाव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। दक्षिण अफ्रीका में नैशनल असेंबली और provincial legislature के लिए एक साथ मतदान होता है। स्वीडन आनुपातिक चुनावी प्रणाली अपनाता है यानी राजनीतिक दलों को उनके वोटों के आधार पर निर्वाचित विधानसभा में सीटें दी जाती हैं। इंडोनेशिया 2019 से एक साथ चुनाव करा रहा है। अगर इतने सारे देश एक साथ चुनाव करा सकते हैं तो हम क्यों नहीं?

सबसे बड़ा सवाल | मोदी सरकार इन संशोधनों को दोनों सदनों में पारित कैसे कराएगी, क्योंकि विपक्ष इसके सख्त खिलाफ है। सरकार ने विपक्ष से बात करने के लिए अपने मंत्रियों को विशेष उत्तरदायित्व दिया है। उम्मीद करनी चाहिए कि धीरे-धीरे ज्यादातर दलों और नेताओं की सहमति मिलेगी। राजनीति देशहित और जनहित में ही होनी चाहिए और इसमें यही मूल लक्ष्य निहित है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और विचारक हैं)

पानी की
ख़तरनाक कहानी
PFAS
भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में पीने के पानी में ऐसे केमिकल्स पाए जा रहे हैं, जो जल्दी नष्ट नहीं होते। इन्हें फॉरएवर केमिकल्स (PFAS) कहते हैं। साल की शुरुआत में यह चेन्नै में मिला, कुछ वक्त पहले अमेरिका से लेकर चीन में मिला और अब यूरोप भर के कई देशों में मिला है। जानते हैं, पानी में मिले इन केमिकल्स के बारे में :
यूरोप का पानी
नदियों से नल तक में ट्राइफ्लुओरोएसेटिक एसिड (TFA)
19 में से 10 मिनरल वाटर में मिला TFA
कीटनाशकों से आया यह TFA
बेल्जियम के 642 में 598 नमूनों में
32 गुना अधिक मिला सीमा से।
सीमा है 50 ng/L, मिला 3,200 ng/L
भारत का पानी
2019 में दिल्ली की यमुना नदी में PFOS का स्तर मिला।
2024 में IIT मद्रास ने शोध में पकड़े PFAS
19,400 गुना अधिक निर्धारित सुरक्षा स्तरों से
चेन्नै की झीलों के पानी में मिले फॉरएवर केमिकल्स।
इलाहाबाद में गंगा नदी के संगम में भी मिला PFOS
गंगा नदी में कुल 15 PFAS मिले।
2019 में गोवा, कोयंबटूर, चेन्नै और पटना के नल में 7 PFAS पदार्थ मिले।
फॉरएवर केमिकल्स
इन्हें इंसान ने बनाया है। कार्बन और फ्लोरीन अणुओं से बने ये आसानी से न तो टूटते हैं, न पर्यावरण में विघटित होते हैं...
C–F
10,000 से भी अधिक PFAS दुनिया में
PFAS दो तरह के
PFOA इसका आधा जीवन 90 साल।
PFOS इसका 41 साल से अधिक।
PFAS गैस में बदलकर TFA बनता है।
ग्रीनहाउस गैस TFA, उम्र 1000 वर्ष।
दुनिया का पानी
UK और चीन के नल और बोतलबंद पानी में पर्फ्लुओरोएल्काइल पदार्थ (PFAS)
शेन्जेन, चीन के नल के पानी में सबसे ज्यादा PFAS
नॉर्वे और जापान के बोतलबंद पानी में सबसे अधिक
2023 में न्यू जर्सी नल के पानी में PFAS US में सबसे अधिक।
कंटेंट: राहुल पाण्डेय, ग्राफिक्स: अर्जुन सिंह
यहां से आते हैं
टेकअवे फूड और पिज्जा बॉक्स के पेपर बैग।
नॉन-स्टिक कुकवेयर, अग्निशमन फोम।
वाटरप्रूफ सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन।
कीटनाशक- अमेरिकी पेस्टीसाइड्स में 40% PFAS
फसल, पराली जलाने से भी भूजल, हवा में मिलते हैं।
नुकसान
किडनी, थायरॉयड, वृषण, डिबग्रंथि, प्रोस्टेट के कैंसर का खतरा।
PFAS + मोटापे + टाइप 2 डायबिटीज में संबंध।
टीकों का असर कम हो सकता है।
मासिक धर्म चक्र बाधित, महिलाओं-पुरुषों की प्रजनन क्षमता कम।
गर्भावस्था में ऑटिज्म या ADHD के मामले बढ़ सकते हैं।
फॉरएवर केमिकल्स पर न हमारे देश में चर्चा होती है, ना टेस्ट। जबकि पूरी दुनिया में इससे निजात पाने के तरीके खोजे जा रहे हैं, केमिकल्स पर बैन लगाया जा रहा है। FSSAI को इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। -चंद्रभूषण, CEO, iForest
ऐसे बचें
फिल्टर से PFAS की सांद्रता 50% से 90% तक कम।
स्टेनलेस स्टील, ग्लास, या सिरेमिक बर्तनों का इस्तेमाल।
ग्रीस-रोधी पैकेज्ड फूड गर्म न करें।
घर में नियमित गीली झाड़-पोंछ।
सोर्स : PAN, नेचर पत्रिका, Toxic link, IPEN, NLM

क्या औरतें क़ानून का दुरुपयोग करती हैं

बिंदु डी. / प्रज्ञा एस.

बेंगलुरु में एक इंजिनियर की खुदकुशी ने भारत में कानून और लीगल सिस्टम को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। मरने से पहले इंजिनियर ने अपनी अलग रह रही पत्नी और उसके परिवार पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। इस घटना के बाद बहस होनी चाहिए थी कि घरेलू हिंसा से पीड़ितों और अपराधियों दोनों को प्रभावित करने वाले व्यवस्थित मुद्दे क्या हैं। लेकिन इसकी जगह विवाद को मर्द बनाम औरत का रूप देते हुए यह कहा जाने लगा कि औरतें कानून का दुरुपयोग कर रही हैं और यह भी कि महिला संस्थाओं के कारण ही शादियां टूट रही हैं, विवाह संस्था कमजोर हो रही है।

क्या हैं असली वजहें | सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ऐसा कोई कानून नहीं, जिसका बेजा इस्तेमाल न होता हो। भारत में ज्यादातर अपराधों में लोग बरी हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कोई उनके खिलाफ कानून का दुरुपयोग कर रहा था। अध्ययन बताते हैं कि भारत में अगर मुकदमों में सजा कम मिल रही है तो उसके पीछे दूसरी वजहें हैं। मसलन, अच्छी कानूनी मदद की कमी, गवाहों की दुश्मनी, महिलाओं और बच्चों पर मामला वापस लेने का पारिवारिक दबाव, खराब इन्वेस्टिगेशन वगैरह। ये चीजें अभी NCRB के डेटाबेस में भी शामिल नहीं की जातीं, जिसका डेटा लोग कानून के दुरुपयोग का आरोप साबित करने के लिए अक्सर कोट करते हैं।

सोच बनाम सच | NCRB के 2017 से 2022 तक के आंकड़े बताते हैं कि शादी के बाद उपजे हालत के चलते खुदकुशी पुरुषों (21,579) के मुकाबले महिलाओं (25,197) ने ज्यादा की है। 2022 में भारत में खुदकुशी करने वाली महिलाओं में 52.5% गृहिणियां थीं, जबकि दावा यह है कि घरेलू हिंसा के झूठे मामलों के चलते विवाहित पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं। असल में NCRB में झूठे घरेलू हिंसा मुकदमों के चलते हुई आत्महत्या की कोई कैटिगरी ही नहीं है। वैवाहिक मुद्दों की जो कैटिगरी है, उसमें सेटलमेंट ना होना, दूसरे से रिश्ता होना, दहेज और तलाक जैसी चीजें हैं। पुरुष सबसे अधिक पारिवारिक समस्याओं के चलते खुदकुशी (30.8%) करते हैं, जिन्हें अनिवार्य तौर पर शादी से जुड़ा नहीं माना जा सकता। विवाह संबंधी मुद्दों में पुरुषों की यह दर 3.4% है।

घर का हाल | अधिकतर महिलाएं अपने साथी या परिवार के सदस्यों के हाथों मर रही हैं- चाहे शादी हुई हो या नहीं। UN की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 60% महिलाओं की हत्या उनका साथी या परिवार का सदस्य करता है। NCRB के मुताबिक 2022 में हत्या की छठी बड़ी वजह दहेज था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 में 31.9% विवाहित महिलाओं ने अपने पति द्वारा की गई घरेलू हिंसा की सूचना दी। NFHS-5 के अनुसार, 80.1% महिलाओं ने किसी को नहीं बताया कि वे पीटी गईं। केवल 11.3% महिलाओं ने मदद मांगी और सिर्फ 6.3% ही पुलिस तक पहुंचीं।

डेटा की कमी | NCRB में यह डेटा नहीं है कि घरेलू हिंसा के कितने मामलों में अग्रिम जमानत मिलती है। ऐसे में पता नहीं किस आधार पर यह गलत दावा किया जाता है कि औरतें अपने पतियों को गिरफ्तार कराने के लिए कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। हालांकि, बेंगलुरु के हलासुरु सबडिविजन में एक हालिया अध्ययन के सिलसिले में इकट्ठा किए डेटा से पता चला है कि IPC 498A, 304B, 306 जैसी घरेलू हिंसा की धाराओं में दर्ज 72.5% मामलों में अग्रिम जमानत दे दी गई। यानी घरेलू हिंसा के अधिकतर आरोपी गिरफ्तार ही नहीं किए जा रहे हैं।

मीडिया ट्रायल | SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के भी ऐसे ही दावे किए जाते हैं क्योंकि उनमें भी सजा की दर कम है। अक्सर अपर्याप्त डेटा और लीगल सिस्टम में लगने वाली देरी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले दूसरे समूहों के बारे में गलत सूचना फैलाने का जरिया बन जाते हैं। ये समस्याएं दोनों पक्षों पर असर डालती हैं। लेकिन जैसा बेंगलुरु के मामले ने दिखाया है, मीडिया ट्रायल जटिल सामाजिक मुद्दों की बारीकियों को मिटा देते हैं और ऐसी छिछली मान्यताएं मजबूत करते हैं, जिनके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

पाप धुलने हैं तो गंगा जैसा मन भी होना चाहिए

सुरक्षित गोस्वामी

सभी सोचते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। गंगा में नहाने से अगर सच में कर्म नाश हो जाए तो फिर भैया, पाप करो और चलो हरिद्वार। बस एक डुबकी ही तो लगानी है। लेकिन इस सोच में सच कितना है? सूक्ष्म नजर से देखा जाए तो यह सच है, लेकिन नहाने वाला, डुबकी लगाने वाला उस भाव में होता ही नहीं है। जबकि गंगा में इतनी दिव्यता है कि वह आपका पूरा जीवन बदल सकती है। आपके भाव, आपकी शक्ति और एनर्जी- सबको बदल सकती है।

गंगा अपने-आप में हाई एनर्जी हैं। आप कभी गंगा में जाएं। स्नान करने से पहले खुद को वैसे ही सरेंडर करें, जैसे एक बच्चा अपनी मां के सामने करता है। ऐसे जाना कि जैसे आप उसमें लीन हो गए हों। गंगा से आप और वह आपसे अलग न रहें। तब आप अपनी एनर्जी को उनकी एनर्जी के साथ अलाइन करें। इस भाव से आप जब गंगा में डुबकी लगाएंगे तो कई दिन तक आपको लगेगा, जैसे शरीर में शक्ति आ गई है। नेगेटिविटी की जगह आपको लगेगा कि पॉजिटिविटी आ गई है क्योंकि हाई एनर्जी ने आपके ऊपर काम करना शुरू कर दिया।

आप किसी पुरानी गुफा में जाएं। बद्रीनाथ के ऊपर जहां व्यास या गणेश गुफा है। आप वहां बैठकर ध्यान करेंगे तो पाएंगे कि वहां भी बहुत हाई एनर्जी है। वहां ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा क्यों है? क्योंकि हजारों सालों से वे साधना के स्थान रहे हैं, इसलिए वे हाई एनर्जी सेंटर्स हो गए हैं। वहां पर हजारों सालों से लोग आकर पॉजिटिविटी से साधना-पूजा करते रहे हैं। ऐसे में उस पूरे वातावरण में वह हाई एनर्जी तैयार हो गई। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जो हाई एनर्जी सेंटर्स हैं। गंगा भी उसी हाई एनर्जी सेंटर का एक हिस्सा है।

जल की पावर सबसे ज्यादा होती है। इसलिए श्राप और वरदान जल हाथ में लेकर दिया जाता है। जल से आप कैसे अपने पुरखों का तर्पण करते हैं? तब जल में आप अपने भाव, अपने संस्कार डालते हैं। यही संस्कार और आपके कर्म आपकी एनर्जी में इंप्रेशन के रूप में इकट्ठा होते हैं। फिर जब वे चलते हैं तो चलते ही जाते हैं। यह इसीलिए क्योंकि जल के साथ आपकी एनर्जी भी इंप्रेशन के रूप में जुड़ी है। वहां पर दोनों एक होने लगते हैं। इसीलिए सारे संकल्प, सारे तर्पण, सारी पूजा-विधि - सब जल के आधार पर होते हैं।

ऐसे ही गंगाजल सबसे ज्यादा एनर्जी का जल है। उसी के तट ऐसे हैं, जहां हजारों सालों से साधनाएं होती आ रही हैं। उसी के तट से करोड़ों लोगों की आस्था, दिव्यता और श्रद्धा जुड़ी है। जब आप वहां नहाते हो, उस भाव से नहाते हो तो गंगा आपकी एनर्जी पर काम करना शुरू करती है और आपके कर्म डिजॉल्व करना शुरू कर देती है। ठीक वैसे ही, जैसे सोना हो या चांदी, धातु से अगर फालतू के तत्व हटाने हों तो उसे आग में पिघलाना पड़ता है। ऐसी हाई एनर्जी में जब आप अपनी बॉडी की एनर्जी को लेकर जाओगे तो उस एनर्जी में इंप्रेशन डिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि गंगा पापनाशिनी है। लेकिन जब वह भाव नहीं है, गहरे में वह सोच नहीं है तो वह केवल आपका मैल ही धोएगी। गहरे में उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

प्रेम प्रकाश
वरिष्ठ पत्रकार

आजकल

संविधान पर चर्चा से निकले संदेश

लोकसभा में संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सामने भविष्य के भारत का एक स्पष्ट खाका प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने देशवासियों को ग्यारह संकल्पों को आत्मसात करने का संदेश दिया है। ये विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जरूरत इस बात की है कि राष्ट्र के नागरिक इन संकल्पों के असली मर्म को समझें और ईमानदारी से देश निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें

भारत की विकास यात्रा में जन-जन को शामिल होने का आह्वान करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। फाइल

बीते एक दशक की भारतीय राजनीति में सबसे अहम है केंद्र से लेकर राज्यों तक सरकारों की स्थिरता का एक नया दौर आना। बीते दस वर्षों में क्षेत्रीय और परिवारवाद की राजनीति पर जनता का भरोसा लगातार डिगा है। इसी के साथ सामने आया है देश में राष्ट्रीय राजनीति का नया विवेक और चरित्र। एक बात और जो गौर करने की है, वह यह कि आजादी के इतने दशकों बाद भारत बोध या 'आइडिया आफ इंडिया' को लेकर हिचक और भ्रम का पटाक्षेप हो चुका है। पटाक्षेप की इसी जमीन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सामने भविष्य का एक स्पष्ट खाका खींचा है। आजादी के शताब्दी वर्ष तक विकसित भारत के निर्माण की जो बात वह लगातार दोहरा रहे हैं, उसमें अब वह संविधान को केंद्र में लाकर अपनी बात कह रहे हैं। संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर लोकसभा में हुई चर्चा में उन्होंने जो 11 संकल्प गिनाए हैं, वह समवेत रूप में देश की राजनीतिक मिजाज को भविष्योन्मुखी बनाने का गंभीर आग्रह है। ये संकल्प इस प्रकार हैं- हर कोई अपने कर्तव्यों का पालन करे, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस हो, देश की परंपराओं के पालन में नागरिकों को गर्व हो, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश परिवारवाद से मुक्त होना चाहिए, राजनीति स्वार्थ के लिए संविधान न बने हथियार, धर्म के आधार पर आरक्षण न हो, महिला नीत विकास में भारत अहम भूमिका निभाए, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास हो और एक भारत, श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो।

इस बाबत यह समझना भी जरूरी है कि देश की राजनीतिक यात्रा आज उस मोड़ पर है, जब ज्यादातर दलों ने अपनी वैचारिक पहचान को तकरीबन तिलांजलि दे दी है। देश में दलों की संख्या भले जितनी हो, पर प्रभावी राष्ट्रीय दलों की गिनती और हैसियत दोनों ही इकहरी होती जा रही है। केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा के मुकाबले कांग्रेस के खड़ा होने की क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। लोकसभा में तकनीकी तौर पर कांग्रेस इस बार जरूर नेता प्रतिपक्ष का पद पाने में सफल रही, पर इस बार कम सीटें आने के बावजूद भाजपा अब भी कांग्रेस से बहुत आगे है। यह स्थिति देश में प्रतिपक्ष की कमजोरी को तो दिखा ही रही है, इससे देश में राजनीतिक विचार का संघर्ष भी निस्तेज हुआ है। इसके उलट बीते दस वर्षों में हम एक विचार और संगठन की राजनीतिक हैसियत के उत्तरोत्तर विकास का चढ़ता ग्राफ देख रहे हैं। यह सियासी जमीन हथियाने का एक रोमांचक घटनाक्रम तो है ही, एक वैकल्पिक विचार का देश की मुख्यधारा के सोच तक पहुंच जाना भी है। बहुत पीछे न जाकर संविधान पर लोकसभा में हुई बहस को ही लें तो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल के स्टैंड में कोई वैचारिक निरंतरता नदारद दिखी। इसके विपरीत देश के राजनीतिक परिदृश्य में जनसंघ से भाजपा तक की एक वैचारिक यात्रा और उसका प्रभावी प्रसार साफ दिखा।

लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जब 11 संकल्पों की बात कर रहे थे, तो वह कहीं न कहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार को समकाल और भविष्य से जोड़ रहे थे। दीनदयाल जी ने संविधान के निर्माण पर कई लेख लिखे। एक लेख में उन्होंने संविधान सभा को पांच सलाह दी थी। वह जोर देकर कह रहे थे कि भारत के आत्मा का हनन न हो, बौद्धिक दासता के फंदे से निकला जाए, मानवीय अधिकार एवं स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, भारत सर्वरूपेण शक्तिशाली बनने की राह पर बढ़े और देश की एकता सशक्त हो। यह महज संयोग नहीं, बल्कि एक वैचारिक शपथ का सतत और सशक्त होना है कि प्रधानमंत्री मोदी इन्हीं सलाहों के आलोक में आज 11 संकल्पों की बात कह रहे हैं। बिंदुवार इन एकादश संकल्पों को देखें तो यह सर्व-समावेशी और सर्व-स्पर्शी विकास की उस लीक का दिशाबोध है, जिसकी प्रेरणा और ऊर्जा जहां एक तरफ हमारा संविधान है, तो दूसरी तरफ हमारी सांस्कृतिक विरासत है। प्रधानमंत्री मोदी इन संकल्पों को गुलामी की मानसिकता से पूर्ण आजादी के साथ एक भारत, श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य तक पहुंचने की पहल के तौर पर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले स्वाधीनता दिवस पर लालकिले से अपने संबोधन में उन्होंने जिस पंचप्रण की बात की थी, उसमें भी गुलामी और औपनिवेशिक मानसिकता से पूर्ण मुक्ति पर जोर था।

हालांकि अफसोस की बात यह है कि संसद में संविधान के 75 वर्ष के सफरनामे पर बहस के नाम पर जो भी कहासुनी हुई, उसमें राजनीति और विचार का कोई परिपक्व चरित्र नहीं प्रकट हुआ। आलम यह रहा कि विपक्ष की सरकार विरोध की मंशा ने सत्ता पक्ष को भी उसी राजनीतिक पिच पर ला दिया, जिसमें संविधान और लोकतंत्र के गंभीर तकाजे ओझल हुए और तत्कालीन राजनीति का गुणा-गणित हावी रहा। विपक्ष ने और खासतौर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इसे राजनीतिक विरोध और असहमति पर इस तरह ला छोड़ा, जिसमें चुनावी राजनीति की हार-जीत के हालिया तथ्य ज्यादा हावी दिखे।

इस सिलसिले में एक महिला पत्रकार की टिप्पणी की खूब चर्चा रही कि नरेन्द्र मोदी पंचप्रण से एकादश संकल्प तक पहुंच गए, पर राहुल गांधी अभी भी अभयमुद्रा में ही झूल रहे हैं। आलोचना की जड़ता और भविष्य के लिए नीति एवं कार्यक्रम की यह बढ़ती खाई दुर्भाग्यपूर्ण है। जातिगत आरक्षण, सांप्रदायिक उन्माद, महिला असुरक्षा और लोकहित से जुड़े कई मुद्दे अहम हैं, पर इसके साथ भविष्य को लेकर दृष्टि, समझ और कार्यक्रम पर भी बात करनी होगी। अन्यथा सरकार विरोध का विपक्षी धर्म लोकतंत्र के एक बड़े तकाजे से चूक जाएगा।

विकसित भारत के लिए ग्यारह संकल्प

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी
चेयर प्रोफेसर, केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब

संसद में संविधान पर खूब बातें हुईं। संविधान के 75 वर्ष होने पर इस चर्चा का अभिप्राय है भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना। इसका अभिप्राय है संविधान के मूल्यगत भावों का पुनरावलोकन करने के साथ संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास की जड़ों को मजबूती प्रदान करना। इस बहाने पक्ष एवं विपक्ष के सभी सदस्य संविधान को समझने और इसके मर्म को भारतीय मर्म बनाने पर विचार करने में सफल रहे, लेकिन इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विशेष उद्बोधन विचार करने योग्य है। उनका मानना है कि विकसित भारत का सपना इस सदन में बैठे सभी सदस्यों का तो होना ही चाहिए, लेकिन जब यह 140 करोड़ देशवासियों का सपना बन जाएगा तो इच्छित परिणाम जरूर आएगा। पूरा देश जानता है कि वह इच्छित परिणाम है विकसित भारत।

आजादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने लालकिले से पंचप्रण-विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता एवं एकजुटता और नागरिकों में कर्तव्य की भावना के साथ देश को आगे बढ़ने की अपील की थी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर इसमें कुछ चीजों को और जोड़कर देश को आगे चलने का आग्रह किया है। अब उन्होंने यह विचार किया है कि 11 संपल्पों से ही देश का भला होगा। इसमें प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का संकल्प निश्चय ही भारत की तस्वीर बदलने की महत्वपूर्ण पहल है। भ्रष्टाचार का शिष्टाचार बन जाना किसी भी राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। ऐसे देश की तरक्की तो कदापि नहीं होती। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के सामाजिक बहिष्कार की जो बात की है, उसका अपना अलग संदेश है। भारत के विकसित बनने में सबसे बड़ा रोड़ा है तो भ्रष्टाचार है। इसलिए भ्रष्टाचार के लिए जीरो टालरेंस की नीति देश के विकास के लिए मील का पत्थर बनने जा रही है।

इसके अलावा उनकी महिला आधारित विकास की बात भी महत्वपूर्ण है। मालूम हो कि हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में देश की नारी शक्ति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। संविधान सभा में 15 माननीय महिला सदस्य थीं और सभी ने संविधान निर्माण में योगदान दिया था। मौलिक चिंतन के आधार पर उन्होंने संविधान सभा की चर्चा को समृद्ध किया था। वे सभी अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमि, और अलग-अलग क्षेत्र से थीं। उन्होंने जो-जो सुझाव दिए, उनका संविधान के निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। यह गर्व की बात है कि दुनिया के कई देश हमारे ही साथ आजाद हुए, उन्होंने भी संविधान बनाए, उनके यहां लोकतंत्र की बहाली हुई, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने के मामले में वे हमसे बहुत पीछे रह गए। हमारे यहां शुरुआत से ही महिलाओं को वोट का अधिकार संविधान में दिया गया है। इसलिए महिला शक्ति की भारतीय लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए। एक सजग राष्ट्र अपनी महिलाओं की उन्नति एवं नेतृत्व की बात करने लगे, तो समझ लीजिए वह राष्ट्र विश्वप्रिय राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।

ऐसे संकल्पों की संविधान की 75वीं वर्षगांठ में उपस्थिति यह बताती है कि हम अपने संविधान, देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। यदि देश के समस्त नागरिक इन सभी संकल्पों के असली मर्म को सही-सही समझ लें तो 2047 तक भारत केवल विकसित राष्ट्र नहीं होगा, अपितु इसी संविधान के साथ वह विश्व में अपने नेतृत्व की क्षमता को भी साबित कर विश्व के विकास का अगुआ भी बन सकता है। जरूरत इस बात की है कि राष्ट्र के नागरिक इन संकल्पों को आत्मसात कर देश निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें।

खरी-खरी

नए दौर में प्रेम

रोहित कौशिक

प्रेम करने के तौर तरीके पुराने पड़ चुके हैं इसलिए कुछ बुद्धिजीवी किस्म के प्रेम-दीवानों ने सोचा कि नए दौर में प्रेम किस प्रकार किया जाए, इस विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए। किसी भी मुद्दे पर ज्यादा वक्ताओं की बात सुनकर आदमी भ्रमित हो जाता है। इसलिए यह तय किया गया कि संगोष्ठी में बोलने के लिए केवल दो वक्ताओं को ही बुलाया जाएगा।

संगोष्ठी में पहले वक्ता के रूप में शहर के सबसे बड़े प्रेम-दीवाने को बुलाया गया। प्रेम-दीवाने ने गुरुमंत्र दिया कि प्रेम करने के लिए स्वयं को तबाह करना पड़ता है। जब दिन-रात प्रेम-धुन में मारे-मारे फिरोगे तो तबाह हो ही जाओगे। प्रेम-दीवाने की हालत देखकर लग रहा था कि वास्तव में उसने स्वयं को तबाह किया हुआ है। वह जब वाक्य बोलता तो पूरी ऊर्जा के साथ तेज आवाज में बोलता, लेकिन धीरे-धीरे उसकी आवाज कम होती जाती। ठीक वैसे ही जैसे दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है। एक समझदार श्रोता ने प्रश्न किया कि गुरु जी आप तो पुराने जमाने का गुरुमंत्र दे रहे हो। इस जमाने में प्रेम के चक्कर में भला कौन स्वयं को तबाह करता है। वक्ता ने जवाब दिया-बेटा जमाना कितना भी बदल गया हो, लेकिन प्रेम के मूलभूत तत्व कभी बदलते नहीं हैं। जरा बताओ तो जब तुमसे प्रेमिका महंगे-महंगे उपहारों की मांग करती है तो भले ही तुम्हारी हैसियत न हो, तुम उसे खरीदकर देते हो या नहीं? भले ही तुम्हें उधार या लोन लेकर उसकी जरूरतें पूरी करनी पड़ें, तुम जी जान से यह काम करते हो। इस प्रक्रिया से तुम बर्बाद होते हो या नहीं? वक्ता की सटीक बात से श्रोता का मुंह बंद हो गया।

दूसरे वक्ता के रूप में एक बड़े राजनेता को बुलाया गया। नेता जी ने अपने संबोधन में कहा कि मित्रों! जीवन में केवल एक ही प्रेमी रखना प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति का सिद्धांत है कि संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। इसलिए हमें लगातार अपना प्रेमी भी बदलते रहना चाहिए और प्रकृति के इस नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि चुनाव से पहले राजनेता पार्टियां बदलने लगते हैं।

पोस्ट

एक देश-एक चुनाव वाले विधेयक को मुसलमान विरोधी बताया जा रहा है। अब मुसलमान का इस विधेयक से क्या नुकसान है, यह समझ नहीं आ रहा है?
अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह को देख पुराने लोगों को न्यूजीलैंड के सर रिचर्ड हेडली की याद जरूर आती होगी। हेडली क्रिकेट इतिहास के दस सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक रहे, पर कभी उन्हें दूसरे छोर से साथ नहीं मिलता था।
एक्स क्रिकेटर@old_cricketer

भारतीय पारी के अंत में आकाश दीप और बुमराह ने क्या गजब का खेल दिखाया और फालोआन बचाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि केएल राहुल और रवींद्र जडेजा की कड़ी मेहनत पर पानी न फिर जाए।
वसीम जाफर@WasimJaffer14

अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहे

बांग्लादेशियों का उत्साह जायज है और वे जश्न के हकदार हैं, लेकिन यह न भूलें कि भारतीय सेना द्वारा सीजेरियन आपरेशन के बाद ही बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसमें मुक्ति वाहिनी ने बस थोड़ी-बहुत मदद पहुंचाई थी।
वेद प्रकाश मलिक@Vedmalik1

जागरण जनमत — कल का परिणाम

ब्रिसबेन टेस्ट में भारतीय टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा है?

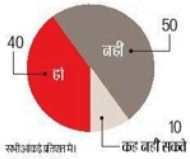

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या एक साथ चुनाव वाले विधेयक को जेपीसी में भेजने से उस पर आम सहमति बन सकती है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

संभल का सच देखकर रहे रोंगटे कांप,
वर्षों से यह सच रहे अपने नेता ढांप।
अपने नेता ढांप सांप को दूध पिलाया,
सनातनी को थोक भाव में गया जलाया।
अब योगी के राज मिला जब शासन का बल,
उगल रहा तब रोज नया सच देखो संभल!
- ओमप्रकाश तिवारी

विकास धूलिया
स्टेट ब्यूरो चीफ, उत्तराखंड

उत्तराखंड डायरी

देवभूमि अब बनेगी खेलभूमि

उत्तराखंड की स्थापना के रजत जयंती वर्ष 2025 में राज्य अब तक के सबसे बड़े और राष्ट्रीय स्तर के आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। यह आयोजन है 38वें राष्ट्रीय खेल, जो 28 जनवरी से आरंभ होकर 14 फरवरी तक चलेंगे। राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर, लोगो, एंथम, मशाल और जर्सी का लोकार्पण हाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। अभी राज्य सरकार ने इन खेल स्पर्धाओं के लिए सात स्थानों का चयन किया है। यद्यपि अंतिम रूप से आयोजन स्थलों का चयन होना अभी बाकी है और नए खेल शामिल होने की स्थिति में आयोजन स्थलों की संख्या बढ़ सकती है। उत्तराखंड की पहचान अब तक देवभूमि और पर्यटन राज्य की रही है। अब सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से इसकी छवि में एक और आयाम, खेल भूमि जोड़ना भी है। महत्वपूर्ण यह कि राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन के माध्यम से सरकार राज्य की संस्कृति, परंपरा और प्रकृति से विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों को परिचित कराएगी और इसी के अनुरूप तैयारियां भी चल रही हैं।

उत्तराखंड को पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है। वैसे तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जिम्मा उत्तराखंड को वर्ष 2017 में ही मिल गया था, लेकिन अलग-अलग कारणों से यह टलता रहा। खेलों के आयोजन में विलंब का मुख्य कारण यह रहा कि जब उत्तराखंड को इसकी मेजबानी मिली, उस समय तक 36वें एवं 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए ही नहीं थे। इस कारण उत्तराखंड में इन खेलों का आयोजन कराने के लिए लगभग आठ वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी और अब जाकर यहां राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होगा। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन देहरादून एवं समापन हल्द्वानी में प्रस्तावित है। अभी राज्य में जिन सात स्थानों का चयन राष्ट्रीय खेलों की स्पर्धाओं के लिए किया गया है, उनमें से देहरादून में 16 खेल स्पर्धाएं, हल्द्वानी में आठ, हरिद्वार में तीन, ऋषिकेश में एक स्पर्धा, गुलरभोज में एक, रुद्रपुर में तीन और नैनीताल में दो खेल स्पर्धाएं आयोजित की जानी हैं। इन स्थानों पर राष्ट्रीय स्तर की सुविधा जुटाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। खेलों के आयोजन के लिए सभी स्टेडियम और मैदान बनकर तैयार हैं।

देहरादून स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह होना प्रस्तावित है। जागरण

सरकार चाहती है कि इस आयोजन के जरिये उसकी खेल के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बने। सरकार ने इन खेलों के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल, जर्सी और एंथम लांच कर दिया है। इन सभी में स्थानीयता को शामिल किया गया है। यानी ये सभी राज्य की संस्कृति, परंपरा, प्राकृतिक संपदा आदि को प्रतिबिंबित करते हैं। लोगो में राज्य पक्षी मोनाल, हिमालय और सूरज बना हुआ है। शुभंकर राज्य पक्षी मोनाल को बनाया गया है। इसे मौली नाम दिया गया है। मशाल में गंगा व राज्य पुष्प ब्रह्मकमल के चिह्न उकेरे गए हैं। प्रचार सामग्री में लोक कला एपण को शामिल किया गया है। शुरुआत में भारतीय ओलिंपिक संघ ने राष्ट्रीय खेलों में 32 खेल शामिल किए थे। अब इनमें योग व मलखंब को भी जोड़ दिया गया है। इसके अलावा क्लायरीपट्टू और राफ्टिंग को प्रदर्शनी खेलों में रखा गया है। राज्य सरकार ने राफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, स्पीड क्लाइंबिंग, कराटे और लागोरी को भी राष्ट्रीय खेलों में जोड़ने का अनुरोध किया है। सरकार की मंशा 38वें राष्ट्रीय खेलों में 38 मुख्य खेल शामिल करने की है। इसके लिए लगातार भारतीय ओलिंपिक संघ और केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय से पत्राचार किया जा रहा है। गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में 43 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था। गोवा राष्ट्रीय खेलों में भी नौ खेल बाद में शामिल किए गए थे।

राज्य में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से यहां के खिलाड़ियों का मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही उन्हें एक बेहतर मंच भी मिलेगा। इससे उदीयमान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। सरकार ने राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को स्वीकृत पुरस्कार राशि को दोगुना कर दिया है। इसके अंतर्गत अब स्वर्ण पदक विजेता को 12 लाख, रजत पदक विजेता खिलाड़ी को आठ लाख और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को छह लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सरकार का प्रयास है कि राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में उत्तराखंड शीर्ष पांच राज्यों में रहे। जरूरी है कि खिलाड़ियों को इसके लिए अभी से तैयार किया जाए। खिलाड़ियों को अच्छे खेल प्रशिक्षकों के साथ बेहतर स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही, पूर्व ओलिंपिक खिलाड़ियों का भी सहयोग लिया जा रहा है, ताकि वे खिलाड़ियों के साथ अपने अनुभव साझा कर सकें। प्रशिक्षण के दौरान आने वाले खर्च को भी खेल विभाग ने स्वयं उठाने की बात कही है। इसके अलावा सरकार का यह भी प्रयास है कि अन्य राज्यों से खेल रहे उत्तराखंड के खिलाड़ी इन राष्ट्रीय खेलों में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करें।

भारत-बांग्लादेश

पड़ोस में उथल-पुथल के खतरे

राजनीतिक उथल-पुथल के बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का गढ़ बनने की आशंका बढ़ गई है। इसके भारत के पूर्वी क्षेत्र के लिए गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं

डा. अपर्णा
सहायक प्राचार्य, अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड

शेख हसीना के पांच अगस्त, 2024 को बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद वहां हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। बीते दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से संबंधित एक प्रश्न का लोकसभा में उत्तर देते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि अगस्त महीने से अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों, उनके घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों, मंदिरों पर हमले की कई रिपोर्ट देखी गई हैं। दुर्गापूजा के अवसर पर पूजा मंडपों पर हमले तथा सातखिरा में श्री काली मंदिर लूट की घटना की भी स्वीकारोक्ति सदन में उनके द्वारा की गई। बांग्लादेश के हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद के अनुसार, चार से 20 अगस्त, 2024 के बीच अल्पसंख्यकों पर हमले की 2,010 घटनाएं हुईं। 22 अगस्त से 12 अक्टूबर के बीच हमले की 57 घटनाएं हुईं। इसके अलावा 69 पूजा स्थलों (मुख्य रूप से हिंदू मंदिरों) पर हमले किए गए और आग लगा दी गई। हिंसा की पहली लहर से लगभग 1,705 परिवार और 50,000 लोग प्रभावित हुए। हिंदू धर्म गुरु चिन्मय कृष्ण दास और उनके अनुयायियों के खिलाफ बांग्लादेश की वर्तमान सरकार का मनमाना रवैया भी किसी से छिपा नहीं है।

वास्तव में बांग्लादेश में सत्ता काफी हद तक कट्टरपंथियों के हाथों में चली गई है। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस नाममात्र के लिए शीर्ष पर हैं। पिछले चार महीनों की घटनाओं ने दिखाया है कि वह उन लोगों की दया पर हैं, जो पाकिस्तान से 1971 की मुक्ति की विरासत को खत्म करना चाहते हैं। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई, तो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का गढ़ बनने की पूरी आशंका है। यह पूर्वी भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित होगा। स्वतंत्रता के समय पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) की हिंदू आबादी लगभग 23 प्रतिशत थी, लेकिन 2022 तक यह घटकर सिर्फ 8 प्रतिशत रह गई। इस पलायन का एक हिस्सा अर्ध-इस्लामिक राज्य में रहने की असुरक्षा के कारण था।

भारत और बांग्लादेश के खराब होते आपसी संबंधों के बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार से पाकिस्तान की गर्मजोशी बढ़ती दिख रही है। हाल में पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपने नागरिकों के लिए वीजा नियमों में कई तरह की छूट दी है। इसके साथ ही बांग्लादेश बनने के बाद पिछले महीने पहली बार कराची से मालवाहक पोत बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचा था। दोनों देशों के बीच यह पहला समुद्री संपर्क था। गत दिनों पाकिस्तानी मीडिया में खबर छपी कि दशकों बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी आयात किया है। पाकिस्तान से बढ़ती करीबी पर भारत में रह रहीं बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तसलीमा नसरीन ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने लिखा है, ''दुश्मन पाकिस्तान से बांग्लादेशियों को बचाने के लिए भारत-बांग्लादेश ने अपने 17 हजार सैनिकों की जान गंवा दी और अब उसी भारत को दुश्मन माना जा रहा है। भारत ने एक करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय, खाना और कपड़ा दिया और वही भारत अब दुश्मन है। पाकिस्तानी सैनिकों से रक्षा के लिए भारत ने हथियार के साथ ट्रेनिंग दी, लेकिन अब वही भारत दुश्मन है। पाकिस्तान ने लाखों बांग्लादेशियों को मारा और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, उसे अब दोस्त बताया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पैदा करने में नंबर वन है, अब वही दोस्त माना जा रहा है। जिस पाकिस्तान ने 1971 के अत्याचार के लिए माफी तक नहीं मांगी, अब वह बांग्लादेश का दोस्त माना जा रहा है।''

बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ता अत्याचार। फाइल

बांग्लादेश में हो रही इस उथल-पुथल से न सिर्फ बांग्लादेश, बल्कि भारत की सुरक्षा को भी खतरा है। वहां की नई सरकार की प्रकृति भारत के सामरिक हितों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है। भारत को क्षेत्रीय तनाव से बचने के लिए हिंदू शरणार्थियों के लिए नागरिकता के वादों पर सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए। यह राजनीतिक अस्थिरता चीन को इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर प्रदान कर सकती है।

बांग्लादेश में यह उथल-पुथल ऐसे समय में हुई है जब भारत कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान के साथ तनाव, म्यांमार में अस्थिरता, नेपाल के साथ तनावपूर्ण संबंध, अफगानिस्तान और मालदीव में इस्लामी चरमपंथ द्वारा सत्ता पर कब्जा करना शामिल हैं। भारत बांग्लादेश में स्थिति पर बारीकी से नजर रखते हुए ''प्रतीक्षा करें और देखें'' की रणनीति अपनाए। किसी भी नकारात्मक नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए बांग्लादेशी समाज के व्यापक समूह के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण होगा। भारत के नीति निर्धारकों को वर्ष 1971 की मुक्ति गाथा से आगे बढ़ने की भी जरूरत है।

****

दैनिक जागरण

संकोच कई महान कार्यों की राह रोक देता है

ईवीएम पर बेजा सवाल उठाने के खतरे

राहुल वर्मा

किसी भी लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत नहीं कि उसमें हितधारक तत्वों द्वारा उसके प्रति संदेह के बीज बोने का काम करें

अखंडेश्वर राजपूत

भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित है, लेकिन पिछले कुछ समय से देश में ऐसे प्रयास हो रहे हैं जो इस प्रतिष्ठा पर आघात करते हैं। ये प्रयास चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने से जुड़े हैं। इन सवालों के घेरे में सबसे प्रमुख तौ इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम है। निर्वाचन आयोग से लेकर अन्य जिम्मेदार संस्थाओं पर भी गैर-जिम्मेदाराना ढंग से आरोप लगाने का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। चुनाव हारने वाले राजनीतिक दल ही अक्सर ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर दुष्प्रचार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे आरोप तब अपना आधार खो देते हैं, जब उसी दल या उसके सहयोगी को उसी दौरान हुए किसी अन्य राज्य के चुनाव में सफलता मिल जाती है, लेकिन दूसरे प्रदेश में वह हार जाता है। हाल के समय में पहले जम्मू-कश्मीर एवं हरियाणा और फिर महाराष्ट्र एवं झारखंड में यही सिलसिला देखने को मिला। जहां महाराष्ट्र की हार के बाद शरद पवार जैसे अनुभवी नेता ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनके गठबंधन के सहयोगी नेता उद्धव ठाकरे ने तो उन एक्टिविस्ट से मेल-मुलाकात की जो ईवीएम के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस ने तो इस मामले में तब हद ही कर दी, जब उसने भारत जोड़ो यात्रा की तरह ईवीएम विरोधी यात्रा निकालने का एलान किया। हालांकि इन दलों को झारखंड में भाजपा को मिली हार में ईवीएम के स्तर पर वैसे नहीं दिखता। विपक्षे खेमे के इन नेताओं के आरोपों की हवा खुद उमर अब्दुल्ला और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी जैसे सहयोगी निकाल देते हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के मुखिया उमर अब्दुल्ला ने बीते दिनों स्पष्ट रूप से कहा, 'हरे तो ईवीएम खराब, जीते तो सही, यह नहीं चलेगा।' उमर की इस नसीहत के बावजूद ईवीएम विरोध को लेकर विपक्षी दलों का यह रवैया बदलने वाला नहीं है।

ईवीएम को लेकर विपक्षी नेता हर बार कोई दूर की कौड़ी लेकर आते हैं। जैसे हरियाणा चुनाव के बाद ईवीएम की बैट्री के स्तर को लेकर नया विवाद शुरू किया गया कि इतने उपयोग के बाद भी उनकी बैट्री इतनी चार्ज कैसे रह सकती है? चुनाव आयोग ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद ऐसे आरोप फिर से सतह पर आने लगे। कभी ईवीएम में पहले से ही किसी पार्टी के पक्ष में कुछ वोट पोड करने के आरोप लगाए जाते हैं। कुछ और नहीं तो मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े पर बिवाद खड़ा कर दिया जाता है। कभी ईवीएम को हैक करने के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा हैकाथन जैसे आयोजन के बावजूद ऐसा कोई आरोप सिद्ध नहीं किया जा सका। यह स्थिति तब है जब चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक पड़ाव की सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की सहमति के बाद ही आगे बढ़ाकर समूची निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। इसी प्रकार मतदाता सूचियों में हेरफेर के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। चुनाव के बाद ऐसे आरोपों का क्या तुक और उनके पक्ष में पुख्ता प्रमाण भी नहीं दिए जाते।

हालांकि ऐसा नहीं है कि मौजूदा विपक्ष को ही ईवीएम में खोट नजर आती है। विपक्ष में रही भाजपा भी ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाती रही है। उसके शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक पुस्तक में ईवीएम विरोध पर विचार भी व्यक्त किए थे। निःसंदेह दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में छोटे स्तर पर कुछ तकनीकी आदि कारणों से गड़बड़ी हो सकती है, मगर संस्थागत रूप से कोई व्यापक गड़बड़ी संभव नहीं, जिससे किसी एक पार्टी को ही फायदा पहुंचे। इंटरनेट मीडिया युग में जहां हर छोटी बात बड़ी बन जाती है और मीडिया की व्यापक निगरानी हो, वहां चुनावी प्रक्रिया में बिसंगति से जुड़े आरोप भरोसेमंद नहीं लगते। यह सही है कि चुनावी प्रक्रिया में बाहुबल एवं धनबल के अलावा नाना प्रकार के संसाधनों और मीडिया एवं इंटरनेट मीडिया द्वारा बिभरे के स्तर पर हस्तक्षेप से मतदाताओं को सशने के उपायों को लेकर कुछ सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन इससे पूरी चुनाव प्रक्रिया और संस्थानों की कठघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता।

ईवीएम पर सवाल उठाने वाले यह अनदेखा करते हैं कि पिछले ढाई-तीन दशकों में चुनावी सुधार का यह सबसे सशक्त प्रतीक बनकर उभरा है। इसने बंचित तबकों की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को नए आयाम दिए हैं। कई अध्ययनों में यह सामने आया है कि ईवीएम के आने के बाद मतों का निरस्त होना लगभग नगण्य हो गया है। मतपत्रों से होने वाले मतदान में बिभिन्न कारणों से मत निरस्त हो जाते थे और ऐसा बंचित एवं कम पढ़े-लिखे वर्गों के साथ ही ज्यादा देखने को मिलता था। मतपत्र वाली व्यवस्था में बड़े पैमाने पर धांधली की तस्वीरें भी बहुत सामान्य हो गई थीं। ऐसे में, ईवीएम के सकारात्मक प्रभावों का संज्ञान लिया जाना चाहिए कि किस प्रकार वह कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति के मूल लोकतांत्रिक अधिकार की संरक्षक बनी है। ईवीएम के आने से मतदाताओं की बढ़ी सहभागिता बढ़ते मतदान प्रतिशत में स्पष्ट भी हो रही है।

किसी भी लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत नहीं कि उसमें हितधारक तत्व ही उसके प्रति संदेह के बीज बोने का काम करें। यदि इस प्रकृति पर समय रहते अंकुश नहीं लगा तो इसके दूरगामी दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा खमियाजा तो आरोप लगाने वाले दलों को ही भुगतना पड़ेगा। इसका एक कारण यह है कि भले ही ये आरोप निराधार हों, मगर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं मतदाताओं में यह गलत धारणा घर करती जाएगी कि वे कितनी ही मेहनत करों न कर लें, मगर ईवीएम के चलते वे नहीं जीत पाएंगे। इससे उन दलों की संभावनाएं ही प्रभावित होंगी। आरोपों का सिलसिला कायम रहने से चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था और अन्य संस्थानों की साख पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में, यह चुनाव आयोग और अन्य संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि जो भी सवाल उठें, वे उनका तथ्यों के साथ जवाब दें। आयोग को इसके लिए एक ऐसा एप तैयार करना चाहिए, जिसमें सभी रियल टाइम जानकारियां पूरे तथ्यों के साथ उपलब्ध हो सकें, जो किसी भी दुष्प्रचार पर बिराम लगाने में सहायक बनें।

(लेखक राजनीतिक बिश्लेषक एवं सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो हैं)

response@jagran.com

भ्रामक विज्ञापन

यह स्वागतयोग्य है कि भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई के तहत भ्रामक विज्ञापन देने वाले 45 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किए गए और 19 पर करीब 61 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों के शिकार कई छात्रों की फीस वापस कराने में भी सफल हुआ है। उसकी सक्रियता का यह सिलसिला कायम रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की कार्रवाई का कोई सकारात्मक असर कोचिंग संस्थानों पर पड़ रहा है या नहीं? ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए, क्योंकि अतीत में भी भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जा चुकी है। कोचिंग संस्कृति बढ़ते जाने के कारण कोचिंग चलाने वाले संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और इसके नतीजे में उनकी ओर से गुमराह करने वाले विज्ञापन देने का सिलसिला भी तेज हो रहा है। कई बार कोचिंग संस्थानों के गुमराह करने वाले विज्ञापनों का शिकार होकर छात्र उनमें प्रवेश ले लेते हैं और बाद में यह पाते हैं कि जैसा दावा किया गया था, वैसा कुछ भी नहीं है। कोचिंग संस्थान केवल पठन-पाठन को लेकर ही भ्रामक दावा नहीं करते, बल्कि स्वयं की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी बढ़-चढ़कर बताते हैं।

अनेक मामलों में यह देखने में आया है कि कोचिंग संस्थानों के दावे सही होते-न तो पढ़ाई को लेकर और न ही सुविधाओं को लेकर। भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ लगातार सख्ती का परिचय देने की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि ऐसे विज्ञापन कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिनमें एक ही छात्र को लेकर कई कोचिंग संस्थान यह दावा कर रहे होते हैं कि उसने उनके यहां से पढ़ाई की। कई बार तो एक ही छात्र तीन-चार कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों में नजर आता है। कुछ मामलों में यह भी देखने में आया है कि यदि किसी छात्र ने किसी कोचिंग संस्थान की मुफ्त सलाह देने वाली सेवा का एक दिन ही लाभ उठाया और वह किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो गया तो उक्त कोचिंग संस्थान उसे भी अपना छात्र बता देता है। यह एक तरह की धोखाधड़ी है। ऐसे भ्रामक दावों से अन्य छात्रों के बीच मिथ्या संदेश जाता है। निःसंदेह ऐसे विज्ञापन भी गलत संदेश देते हैं कि बिना कोचिंग लिए सफलता अर्जित नहीं की जा सकती। आवश्यकता केवल इसकी नहीं है कि भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग संस्थानों की नकेल कसी जाए, बल्कि उन कारणों की तह तक जाकर उनका निवारण करने की भी है, जिनके चलते कोचिंग संस्कृति फलती-फूलती जा रही है। आज इसे मानौल बना दिया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ स्कूली परीक्षाओं में भी सफलता के लिए कोचिंग आवश्यक है। यह वह मामला है, जिसे शिक्षा मंत्रालय को अवश्य ही देखना चाहिए।

सार्थक पहल

उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के बिरुद्ध जनजागरूकता अच्छा संकेत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। जब तक जनता इसमें बराबरी की भागीदारी नहीं निभाएगी, अपेक्षित परिणाम नजर नहीं आएंगे। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन भ्रष्टाचार का घुन पूरी तरह अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार के अपने प्रयास जारी हैं, लेकिन इस बीच जो अच्छा देखने और सुनने को मिल रहा है, वह भ्रष्टाचार के बिरुद्ध जनता का आगे आना। भ्रष्ट अफसरों की शिकायत करने के लिए राज्य सरकार के स्तर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज हो रही शिकायतों की संख्या इसका उदाहरण है। ढाई साल में बिभिन्न बिभागों की तकरीबन बारह हजार शिकायतें इस नंबर पर दर्ज की गईं। इनमें 7800 शिकायतें पुलिस, राजस्व, ग्राम्य बिकास, पेयजल, लोक निर्माण और शहरी बिकास समेत डेढ़ दर्जन बिभागों की हैं। इनमें पुलिस बिभाग शीर्ष पर है। सामान्य स्थितियों में लोग पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर जाने से भी बचते रहते हैं, लेकिन अब वह पुलिस बिभाग की गड़बड़ियों को लेकर बिजिलेंस तक पहुंच रहे हैं तो यह जनजागरूकता का ही प्रमाण है। यह दीगर बात है कि बिजिलेंस बिभाग के पास पर्याप्त संसाधन न होने की वजह से शिकायतों के निस्तारण की गति काफी धीमी है। इससे लोग हतोत्साहित होते हैं। राज्य सरकार को अपनी इस सार्थक पहल को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

भ्रष्टाचार रूपी घुन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ ही जनसहयोग जरूरी है

ड्रोन के क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बने भारत

अजय कुमार

एआइ में प्रगति के साथ ड्रोन इतने उन्नत हो जाएंगे कि वे पारंपरिक रूप से पायलटयुक्त लड़ाकू विमानों को चुनौती देंगे

जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन के अवशेष। प्रेट

बीते दिनों गृहमंत्री अमित शाह ने एलान किया कि ड्रोन की घुसपैठ रोकने के लिए पाकिस्तान और बंग्लादेश सीमा पर एक ड्रोन दस्ते की तैनाती होगी। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में ड्रोन का खतरा और गंभीर होने वाला है। यह दिख भी रहा है। उनकी उक्त घोषणा ड्रोन की बढ़ती महत्ता को रेखांकित करती है। इसके कुछ दिनों पहले अमेरिका के जाने-माने कारोबारी एलन मस्क ने दावा किय था कि उन्नत लड़ाकू बिमान एफ-35 अब पुराना पड़ चुका है और भबिष्य के युद्धों में तो ड्रोन का ही बोलबाला होगा। एफ-35 की मारक क्षमता को देखते हुए मस्क का यह दावा भड़काऊ लग सकता है, लेकिन उनका यह बयान सैन्य रणनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत करता है। हाल में रूस-यूक्रेन और इजरायल-हिजबुल्ला टकराव सहित अन्य संघर्षों में निगरानी से लेकर सटीक हमलों के लिए ड्रोन का भारी पैमाने पर उपयोग हुआ। इसका मुख्य कारण ड्रोन सेना से मिलने वाला सामरिक लाभ है। लड़ाकू बिमानों के बिपरीत पायलट रहित ड्रोन में पायलट को खोने का जोखिम नहीं होता। वे लक्ष्य के करीब जाकर आत्मघाती हमला कर सकते हैं। लड़ाकू बिमान बहुत महंगे भी हैं। एफ-35 की कीमत ही करीब 2,500 करोड़ रुपये से अधिक है, क्योंकि वह मल्टीफंक्शनल क्षमताओं से सुसज्जित होता है, जबकि ड्रोन बेहद सस्ते भी हो सकते हैं। सस्ते ड्रोन पांच लाख रुपये में भी बन जाते हैं। अक्सर आत्मघाती ड्रोनों को ही परिवर्तित करके सैन्य जरूरतें पूरी की जा रही हैं। एफपीवी ड्रोन, जिनका उपयोग यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ रियल टाइम बीडियो लेने और सटीक हमले के लिए प्रभावी ढंग से किया गया, स्थानीय स्तर पर निर्मित बाणिज्यिक ड्रोन से अधिक कुछ नहीं थे।

कम लागत वाले डिस्पोजेबल ड्रोन युद्ध की गतिशीलता को नया आकार दे रहे हैं। इनके किफायती मूल्य से दुश्मन की सुरक्षा को भेदने और कुछ ड्रोन के खो जाने की चिंता किए बिना हमला करने की क्षमता मिलती है। पारंपरिक उच्च लागत वाले हथियारों में बिफलता के परिणामस्वरूप अक्सर महत्वपूर्ण संसाधनों का नुकसान होता है। इसके बिपरीत ड्रोन अधिक लचीले और गतिशील दृष्टिकोण की गुंजाइश देते हैं। अगर एक ड्रोन गँवा भी दिय जाए तो समर नीति पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अपने किफायती मूल्य और उपयोग में लचीलेपन से संभव है कि ड्रोन अन्य सामरिक बिकल्पों को पीछे छोड़ दें। एक ओर जहां छोटे और सस्ते ड्रोन अपनी उपयोगिता के कारण लड़ाकू बिमानों की जगह ले रहे हैं, तो उन्नत ड्रोन उनके प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। मीडियम एल्टीट्यूड लांग एंड्योरेंस (एमएएलई) और हाई एल्टीट्यूड लांग एंड्योरेंस (एचएएलई) ड्रोन जैसे उच्चस्तरीय सिस्टम लंबे समय तक हवा में रह कर अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। ड्रोन करीब 10,000 मीटर तक की ऊंचाई पर सक्रिय रहकर घूमकर प्रहार करने में सक्षम होते हैं। वे हमले से पहले लक्ष्य के दिखने का इंतजार कर सकते हैं। एमक्यू-9 रीपर जैसे ड्रोन तो बेहतरीन पेलोड के साथ आधी दुनिया की यात्रा कर सकते हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ में प्रगति के साथ ड्रोन भबिष्य में इतने उन्नत हो जाएंगे कि वे पारंपरिक रूप से पायलटयुक्त लड़ाकू बिमानों के युद्धाभ्यास और चपलता को चुनौती देंगे। ड्रोन से बायु रक्षा रणनीति में नई क्रांति का सूत्रपात तय है। ड्रोन का छोटा आकार और कम ऊंचाई पर संचालन जैसी बिशेषताएं पारंपरिक बायु-रक्षा प्रणालियों को पीछे छोड़ देती हैं। पांच लाख के एक ड्रोन को गिराने के लिए अगर 10,000 करोड़ की मिसइल तैनात करनी पड़े तो उस ड्रोन आपरेटर के लिए यह किसी रणनीतिक जीत से कम नहीं। ड्रोन के एयर डिफेंस के बिरुद्ध नई तकनीकी युक्तियां अपनाई जा रही हैं, जिनमें आरएफ जैमिंग, जीपीएस स्पूफिंग, उच्च शक्ति वाले लेजर, एंटी-ड्रोन ड्रोन और नेट गन शामिल हैं। फिर भी, घने बिद्युत चुंबकीय समर क्षेत्र में मित्र और शत्रु की पहचान करना जटिल काम है। इस लिहाज से ड्रोन क्षमताओं में बिबिधता मसलन किफायत, कम ऊंचाई वाली इकाइयों से लेकर ऊन्नत, उच्च गति वाले माडल और नए एंटी-ड्रोन समाधानों की आवश्यकता के पहलू सामने आते हैं।

सेना की युद्ध संरचनाओं में ड्रोन का जुड़ाव आधुनिक युद्ध पर उनके पारिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता है। पैदल सेना और मशीनीकृत बटालियनों ने उन्नत निगरानी और आक्रामक अभियानों के लिए ड्रोन खरीदन शुरू कर दिय है। करीब 40-60 टैंक या 18-20 तोपों वाली पारंपरिक बटालियनों के बिपरीत ड्रोन बटालियनों में हजारों या यहां तक कि दसियों हजार ड्रोन शामिल हो सकते हैं। ये ड्रोन, लागत और मात्रा में तोपखाने के गोले के समान हैं, जो बंदूक और गोला-बारूद दोनों का कार्य करेंगे। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि एक शक्तिशाली हथियार के रूप में ड्रोन का उभार रक्षा प्रौद्योगिकियों की बैश्बिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव को रेखांकित करता है। लागत-प्रभावशीलता और बाणिज्यिक एवं रक्षा प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने की क्षमताओं के सथ ड्रोन आधुनिक युद्ध नीति की आधारशिला बन रहे हैं। सामरिक बदलावों से लेकर सैन्य संरचनाओं में संपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों तक ड्रोन एक पारिवर्तनकारी युग के प्रतीक हैं, जहां तकनीकी महाशक्तियों के पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती दे जा रही है। भारत ने अगस्त 2021 में ड्रोन क्षेत्र को खोलकर बड़े सुधारों की जो शुरुआत की, उससे यह आधुनिक सामरिक परिदृश्य को नया रूप देने वाली ड्रोन क्रांति का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है। भारत की कोशिश यह होनी चाहिए कि वह इस क्षेत्र का बड़ा खिलाड़ी बने।

(लेखक पूर्व रक्षा सचिव एवं आइआइटी कानपुर में बिशिष्ट बिजिटिंग प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समस्या का मूल

अपने दृष्टिकोण के कारण ही हमारे मन में कभी निराशा, कभी आशा, कभी एकांकीपन-अकेलेपन का भाव आता है। कभी उससे व्यथा जन्म लेती है तो कभी अपराधबोध की भावना या फिर कभी खेद। कभी क्रोध, कभी भय और कभी एक पराभूत मनःस्थिति। बिभिन्न प्रसंगों, घटनाओं, संघर्षों या मतभेदों के कारण जन्मीं इसी पीड़ा को सामान्यतः हम समस्या मानते हैं।

आज एक बड़ी समस्या यह है कि कुछ व्यक्ति केवल अध्यात्म को लेकर बैठे हैं और कुछ केवल भौतिकता को पकड़े हुए हैं। दोनों अपने-अपने सिरों को तानकर बैठे हैं। जहां अध्यात्म है वहां व्यावहारिकता का सामंजस्य नहीं है। वास्तव में, एकांगीपन ही समस्य है। कौवे को काना मानना जाता है, क्योंकि वह एक ही गोलक से दोनों आंखों का काम चलाता है। उसमें एकांगीपन है। यह एकांगी दृष्टि है। मनुष्य भी आज सर्वांगीण दृष्टि से देखना नहीं चाहता। उसके मन पर आवरण आ गया है। जार्ज बर्नर्ड शा ने इसीलिए कहा कि संसार में समस्या यह है कि मूढ़ लोग नितांत संदेहरहित होते हैं और बुद्धिमान संदेह से परिपूर्ण।

निःसंदेह समस्या बाहर से आती है, किंतु उसका मूल कहां है? उसे खोजना है। प्रयाग में त्रिवेणी है, किंतु उसका मूल स्रोत पर्वत है। हमारी समस्याएं भी बाहर के बिस्तार से आ रही हैं, किंतु उनका मूल हमारे मन में है। अधिकांश समस्याएं मन से ही उत्पन्न होती हैं। जटिल और मूल समस्या है मन की। घर में सब कुछ होते हुए भी कलह है, भाई-भाई में झगड़ा है, पिता पुत्र लड़ते हैं और कहीं भी शांति नहीं। प्रायः यही देखने को मिलता है कि जहां संपन्नता ज्यादा है, वहां झगड़े और अशांति भी अधिक है। अभाव में इतने झगड़े और कलह नहीं दिखते, क्योंकि जिसके लिए झगड़े होते हैं वह वहां है ही नहीं। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि समस्य भौतिक पदार्थों की ही नहीं, मन की भी है।

ललित गर्ग

समुद्री जैव विविधता का संरक्षण

सुधीर कुमार

समुद्री अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य समुद्रीजीवन और जैव विविधता का संरक्षण करना है

हाल में अमेरिका ने पहली बार राष्ट्रीय समुद्री अभयारण्य को मंजूरी प्रदान की है। यह अभयारण्य कैलिफोर्निया तट के चुमाश हेरिटेज क्षेत्र में स्थित है और 4,543 वर्ग मील के बिशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री जीवन और जैव बिबिधता का संरक्षण करना है। इसके अंतर्गत समुद्र में पाए जाने वाले दुर्लभ और बिलुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम बैश्बिक स्तर पर समुद्री पारिस्थितिकी संरक्षण की दिशा में प्रेरणा देने वाला साबित हो सकता है।

समुद्र में जानवरों, पौधों और सूक्ष्मजीवों की बिबिधता निवास करती है। जलबायु परिवर्तन, ओबरफिशिंग, प्लास्टिक प्रदूषण, महासागरीय अम्लीकरण और समुद्री खनन के कारण समुद्री जैव बिबिधता प्रभाबित हो रही है। समुद्री कन्वजीब आबादी में गिरावट का सबसे महत्वपूर्ण कारण मछली पकड़ना है। मछली पकड़ना जहां खाद्य प्रणाली की निरंतरता के लिए जरूरी है, वहीं इस प्रक्रिया का अन्य समुद्री कन्वजीवों पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ता है। मछली पकड़ने के दैरान डाल्फिन और शार्क जैसी प्रजातियों पर भी मुसीबत आ जाती है। अनुमान है कि हर साल मछली पकड़ने के दैरान 10 प्रतिशत ऐसी चीजें पकड़ी जाती हैं, जिन्हें फेंक दिय जाता है। इसमें अनेक समुद्री जीव भी होते हैं। जाहिर है, ओवरफिशिंग के कारण समुद्री जैव बिबिधता में गिरावट आ रही है। महासागरीय अम्लीकरण भी समुद्री जैव बिबिधता के लिए खतरा साबित हो रहा है। बायुमंडल से उत्सर्जित कार्बन डाईआक्साइड को अवशोषित करने से समुद्री जल अम्लीय होता जा रहा है। इससे न सिर्फ समुद्री प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि समुद्री खाद्य शृंखला और मनुष्यों के लिए भोजन की आपूर्ति चक्र में भी बदलाव आ रहा है। वहीं बहुते प्लास्टिक प्रदूषण ने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर दिया है। हर साल कम से कम 14 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में समा जाता है। इसके मलबे से समुद्री प्रजातियों का दम घुट रहा है। यदि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक 99 प्रतिशत समुद्री प्रजातियां माइक्रोप्लास्टिक ख़ रही होंगी। दुसरी ओर खनन और तेल ड्रिलिंग जैसी गतिबिधियां भी समुद्री जैव बिबिधता के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हैं। इससे समुद्र में बिषाक्त पदार्थ और कार्बन घुलता है, जो समुद्री जीवों के लिए घातक साबित हो रहा है।

समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र के संरक्षण के लिए उक्त मानवीय गतिबिधियों पर लगाम लगाने के साथ समुद्री जैव अभयारण्य को स्थापना का दायरा बिस्तृत करने और जैव बिबिधता संरक्षण कानूनों को मजबूत करने की आबश्यकता है। साथ ही, हमें भी समुद्री जैव बिबिधता के संरक्षण के निमित्त संबेदनशील होना होगा।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

एक युग का अवसान

संगीत और संस्कृति के महान साधक उस्ताद जाकिर हुसैन जी नहीं रहे। वस्बिफुद्दीन डागर ने अपने आलेख 'संगीत और संस्कृति के महान साधक' के माध्यम से उनके जीवन के बिबिध प्रसंगों से परिचित कराया। जाकिर हुसैन भारतीय स्पष्ट पावर के अद्भुत प्रतिनिधि थे। वह भारतीय जनमानस के पटल पर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपनी अमिट छाप छोड़कर इस दुनिया से बिदा हुए हैं। ऐसे नायकों की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। मां सरस्वती के भक्त का जाना संगीत और संस्कृति के क्षेत्र की बहुत बड़ी क्षति है। वह ऐसे समय में बिश्वबिख्यात हुए जब इंटरनेट मीडिया उसे मंच नहीं थे। उन्होंने अपने सम्मकालीन प्रख्यात कलाकारों के सथ काम किया और अपनी छाप छोड़ी। वे भारतीय और पश्चिमी संगीत के फ्यूजन के सारथी रहे। उस्ताद जाकिर हुसैन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। शास्त्रीय संगीत में नाम कमाना और अपनी छाप छोड़ना कोई आसान कार्य नहीं है, किंतु उन्होंने यह कार्य किय और भारत का नाम रोशन किय। उनकी बिरासत अजर-अमर है। देश-दुनिया के असंख्य संगीत प्रेमी उनकी बिरासत को संजोकर रखेंगे। उनका निधन एक युग का अवसान है।

योगराज, खरड़ (पंजाब)

सफल हो रहा नक्सल बिरोधी अभियान

संपादकीय आलेख 'नक्सलियों पर दबाव' में यथार्थ लिखा गया है कि नक्सल प्रभाबित इलाकों में स्थानीय लोगों को नक्सलियों का शासन-पानी बंद करना होगा तभी वे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं से बंचित क्षेत्रों में नक्सलियों द्वारा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न की जाती है और सरकार को बदनाम किया जाता है, ताकि ग्रामीणों में सरकार के प्रति आक्रोश हो। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। नक्सलबाड़ी गांव के नाम पर ही उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलबाद कहा गया। नक्सलबाद के उभार के आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सली सरकार के बिकास कार्यों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे आदिवासी क्षेत्रों का बिकास नहीं होने देते और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काते हैं। वे लोगों से वसूली करते हैं एवं समांतर अदालतें लगाते हैं। प्रशासन तक पहुंच न हो पाने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते हैं। अशिक्षा और बिकास कार्यों की उपेक्षा ने स्थानीय लोगों एवं नक्सलियों के बीच गठबंधन को मजबूत बनाया है। सामाजिक बिषमता ही वर्ग संघर्ष की जननी है। आजादी के बाद भी इस बिषमता में कोई कमी नहीं आई। नक्सलियों के लिए यह एक बड़ा मानसिक हथियार है। शासन की जनहित के लिए बनने वाली योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन में गंभीरता, निष्ठा एवं पारदर्शिता का अभाव रहता है जिससे बंचितों को भड़काने और नक्सलियों की नई पौध तैयार करने के लिए इन माओबादियों को अच्छा बहाना मिल जाता है। आपरेशन 'समाधान' भारत में नक्सली समस्या को हल करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक उचित पहल है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

मेलबाक्स

सकारात्मक राजनीति जरूरी

बायनाड से सांसद प्रियंका गांधी बाड्रा फलस्तीन लिखा हैंड बैग संसद में लाकर आखिरकार क्यों संदेश देना चाहती थीं? निःसंदेह भारत की अपनी स्वतंत्र बिदेश नीति है, जिसमें भारत का हित सर्बोपरि होता है। जहां भारत फलस्तीन का पूर्णतया समर्थन करता है, वहीं इजरायल द्वारा हमास, हिजबुल्ला जैसे आतंकवादी संगठनों पर प्रहार की सही ठहराता है, लेकिन हमलों के दौरान मारे जा रहे निर्दोष बच्चों, महिलाओं एवं व्यक्तियों की हत्या का कदापि समर्थन नहीं करता। यही नहीं प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को राडमिंग पर भी सवाल उठाए थे। बिपक्ष को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति करनी चाहिए। किसे एक उद्दमी को निशाना बनाकर आरोपों के दम पर संसद को ठप कर देन कहां तक न्यायोचित है।

दीपक गौतम, सीनौपत

इस स्तंभ में किसी भी बिषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण साहर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

आपने पत्र इस पते पर भेजें: दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा ई-मेल: mailbox@jagran.com

संरक्षक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व.नरेन्द्र मोहन, नीति एवंडीबृत्तिय एवंपर्सन- मोन्द मोहन गुप्त, प्रबन्ध संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशनलि. के लिए; नीतेन्द्र प्रीयदर्शन द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -बिष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delh@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त बिवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हायाई/लेट शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

भारतीय अर्थव्यवस्था

थोड़ी सुस्ती

भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था है, पर इसमें थोड़ी सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, इसके बावजूद वह अभी दुनिया में सबसे तेज प्रगति वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है और वह विकसित देशों की वृद्धि दर से आगे है। जुलाई और सितंबर, 2024 के बीच देश की जीडीपी वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रही हो सात तिमाहियों में सबसे धीमी तथा भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई के अनुमान 7 प्रतिशत से कम है। इससे कुछ ढांचागत चुनौतियां सामने आती हैं जिनका दीर्घकालीन समाधान आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी होगा। अर्थव्यवस्था में सुस्ती बहुआयामी है। उपभोक्ताओं की मांग तथा निजी निवेश में कमी से आर्थिक गतिशीलता धीमी पड़ी है। 'फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स'-एफएमसीजी की बिक्री में कमी आई है, सार्वजनिक व्यापार करने वाली फर्मों के वेतन खर्च में कमी आई है तथा शहरी लोगों का खर्च भी थोड़ा घटा है। नवंबर में कारों की बिक्री में 14 प्रतिशत कमी आई जिससे शहरी उपभोग में कमी का संकेत मिलता है। मुद्रास्फीति में वृद्धि भी जटिलता का संकेत है। अक्टूबर, 2024 में मुद्रास्फीति आरबीआई के लक्ष्य 4 प्रतिशत से आगे निकल कर 5.2 प्रतिशत पर पहुंच गई। जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने तथा सप्लाई श्रृंखला की बाधाओं के कारण सभी क्षेत्रों में खर्च बढ़ा है जिससे लोगों की अतिरिक्त खर्च योग्य सीमा में कमी आई है।

अर्थव्यवस्था में थोड़ी सुस्ती का असर भारत के निर्यातों पर पड़ा है जो वैश्विक वस्तु व्यापार का केवल 2 प्रतिशत हैं। डालर की मजबूती तथा टैरिफदरें बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों के लिए प्रतियोगिता बढ़ गई है। इसके साथ ही खासकर कृषि व लघु उद्योगों में रोजगार सृजन बढ़ाने की आवश्यकता सामने आई है। हालांकि, सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन के अनेक प्रयास किए हैं, पर जमीन पर उनका असर दिखने में कुछ समय लगने की संभावना है।

अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इन स्थितियों में जनता व खासकर ग्रामीण जनता की मांग बढ़ाना बहुत लाभदायक हो सकता है। हालांकि, अच्छे मानसून के कारण कृषि अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है तथा हाल ही में सब्जियों व फलों की कीमतों में कुछ कमी आई है, पर यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को गति देने की स्थिति में नहीं है। मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले दो साल से ब्याज दरों को स्थिर रखा है जिससे कर्ज पर ब्याज काफी अधिक है। इससे बिजनेसों में निवेश के साथ ही उपभोक्ताओं का खर्च घटता है। वैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुस्त होने के पीछे अनेक वैश्विक कारण भी हैं जिनका प्रभाव कमोबेश दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। भू-राजनीतिक उथलपुथल खासकर पश्चिम एशिया तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई श्रृंखलायें बाधित हुई हैं। भारत इन संकटग्रस्त क्षेत्रों से अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात करता रहा है जिनकी कीमतें बढ़ी हैं। इनमें उर्वरक शामिल हैं। दुनिया में घटती मांग तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी बाधाओं के कारण निर्यातों तथा खाद्य उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। आरबीआई डालर की तुलना में रुपये के गिरते मूल्य को थामने के लिए डालरों की बिक्री कर रहा है जिससे तरलता पर प्रभाव पड़ा है तथा आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित हुई है। हालांकि, यह तथ्य भी है कि रुपया मजबूत होने के कुछ लाभ हैं, पर इससे भारतीय निर्यात ज्यादा महंगे हो सकते हैं तथा उनकी प्रतियोगिता क्षमता कम हो सकती है। समस्या समाधान में वेतन वृद्धि की रणनीति महत्वपूर्ण हो सकती है। नौकरशाही बाधायें घटाने, कर प्रोत्साहन देने तथा श्रम व भूमि कानूनों को सरल बनाने जैसे नीतिगत उपाय भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। मुद्रास्फीति से निपटने के साथ ही सप्लाई श्रृंखला मजबूत करने की दिशा में भारत सरकार तेजी से काम कर रही है। आशा है कि इससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज होगी।

डब्लूटीओ में कृषि वार्ताओं का दौर

डब्लूटीओ की हालिया बैठक में भारत ने मुद्दों के प्राथमिकीकरण पर जोर दिया। इसमें सार्वजनिक स्टाकहोल्डिंग तथा विशेष सुरक्षा व्यवस्थायें शामिल हैं।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

जेनेवा में 4 दिसंबर, 2024 को विश्व व्यापार संगठन-डब्लूटीओ की कृषि समिति-सीओए की बैठक में भारत ने जोर दिया कि अब तक कृषि संबंधी असमाधित मुद्दों के समाधान को प्राथमिकता दी जाए। इनमें सार्वजनिक स्टाकहोल्डिंग तथा विशेष सुरक्षा व्यवस्थायें-एसएसएम व अमीर देशों द्वारा व्यापार विकृत करने वाली 'काटन सब्सिडी' समाप्त करना शामिल है। भारत ने कहा है कि इनको अन्य मुद्दों के साथ जोड़ने के बजाय अलग से 'प्राथमिकता' दी जाए तथा इनका 'त्वरित निपटान' किया जाए। दूसरी ओर अमेरिका ने कुछ मुद्दों को अन्य पर प्राथमिकता देने की आलोचना की है।

उसका कहना है कि यह लंबे समय से कृषि में गतिरोध का प्रमुख कारण बना हुआ है। भारत ने गुयाना द्वारा कृषि वार्ताओं को डब्लूटीओ की 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक टालने का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया है जो संभवत: कैमेरून में 2026 में होगी। इसके लिए एक तथाकथित 'कन्वर्जेंस पर गैर-परंपरागत दृष्टिकोण' की पैरवी की गई है। भारत ने जोर दिया है कि फैसिलिटेटर द्वारा की जाने वाली कोई प्रक्रिया 'सहमति आधारित' होनी चाहिए और इसमें डब्लूटीओ के बहुआयामी सिद्धान्तों का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत ने पाठ-आधारित वार्ताओं-टीबीएन पर जोर दिया है। टीबीएन का अर्थ सहमति के पाठ पर आधारित ऐसी प्रक्रिया है जिसे सभी पक्ष स्वीकार करने और उस पर हस्ताक्षर के लिए तैयार हों। वार्ता करने वाले पक्ष इसकी शुरुआत खास समिति के अध्यक्ष द्वारा तैयार पाठ के प्रारूप से कर सकते हैं।

यह प्रस्ताव सदस्य देशों से चर्चा पर आधारित है और इसमें सहमति वाले सभी देशों की राय शामिल की गई है। यह कन्वर्जेंस आधारित दृष्टिकोण के ठीक उलट है जिसमें गैर-बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थाओं को बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था-एमटीएस पर थोप दिया जाता है। खासकर अंतरराष्ट्रीय और डब्लूटीओ-आधारित मुद्दों के सिद्धान्तकार इस प्रक्रिया को धीरे-धीरे विभिन्न व्यापार व्यवस्थाओं से जोड़ने का माध्यम मानते हैं जिनमें खासकर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट-पीटीए व एमटीएस शामिल हैं। अन्य लोग कन्वर्जेंस को व्यापार नियमों तथा नीतियों, मानकों और सामान्य स्थितियों के बीच ज्यादा समन्वय का माध्यक मानते हैं जिनमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग के दूसरे क्षेत्र शामिल हैं।

यह विकसित देशों अमेरिका, यूरोपीय संघ-ईयू, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, आदि का सुनियोजित प्रयास है जिसके माध्यम से वे सहमति के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं जहां हर देश की स्थिति समान होती है। इन देशों का डब्लूटीओ पर ज्यादा प्रभाव है और वे बैठकों का एजेंडा तय कर अक्सर गुयाना जैसे छोटे देशों की ओर से उनको पेश करवाते हैं।

इसलिए भारत ने उचित ही इस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया है। लेकिन भारत द्वारा वार्ताओं को 'प्राथमिकता' देने तथा 'त्वरित गति' देने के प्रस्तावों का क्या होगा? 2 अक्टूबर, 2023 को जेनेवा में सीओए की बैठक में ईयू ने भारत की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया था जिसमें खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए पब्लिक स्टाक होल्डिंग-पीएसएच की स्थाई व्यवस्था शामिल है। इसके अनुसार भारत ने डब्लूटीओ सदस्यों को इस मुद्दे पर टीबीएन यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने की मांग रखी है। उसने इसे 26-29 फरवरी, 2024 को अबूधाबी में डब्लूटीओ एमसी-13 में रखने का प्रयास किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गतिरोध के कारण यह मंत्रिस्तरीय सम्मेलन स्थगित हो गया। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा के लिए पीएसएच की स्थाई व्यवस्था बनाने पर भारत के दृष्टिकोण को अमेरिका और ईयू ने भारी विरोध किया।

इसके पहले भी भारत के प्रयासों का यही नतीजा निकला था। जनवरी, 2021 में डब्लूटीओ की ट्रेड पालिसी रिव्यू-टीपीआर बैठक में भारत ने जोर दिया था कि तीन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर एमसी-12 में लिया जाए। लेकिन 12-17, 2022 को जेनेवा में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ये मुद्दे विचारार्थ रखे ही नहीं गए। यह गतिरोध पिछले लगभग दो दशक से जारी है, जबकि भारत ने इन मुद्दों को डब्लूटीओ में दोहा डेवलपमेंट एजेंडे-डीडीए के अंतर्गत उठाया था। विकसित देशों ने नेरोबी में 2015 में हुई एमसी-10 में डीडीए को खारिज कर दिया था।

एक सर्वाधिक विवादास्पद मुद्दा पीएसएच का स्थाई समाधान है। 31 जुलाई, 2014 को जेनेवा में डब्लूटीओ महापरिषद-जीसी बैठक में आशा की एक किरण जगी थी। इसमें भारत ने इस विषय पर समयबद्ध कार्ययोजना का सुझाव दिया था जिसका क्रियान्वयन 2014 समाप्त होने के पहले हो और इसे ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट-टीएफए में भी संस्तुति दी जाए। यह एक अच्छा रणनीतिक कदम था, लेकिन इसे बीच में ही छोड़ दिया गया। दिसंबर, 2014 में विकसित देश टीएफए से बाहर हो गए तथा विकासशील देशों को 'स्थाई समाधान मिलने तक शांति प्रस्ताव के विस्तार' की रियायत दी गई। इस प्रकार भारत ने स्थाई समाधान के बजाय 'शांति प्रस्ताव के लाभ' को स्वीकार कर लिया।

शांति प्रस्ताव की असलियत समझने के लिए हमें डब्लूटीओ के कृषि समझौते-एओए पर गौर करना होगा। इसके अंतर्गत विकासशील देश एग्रीगेट मेज़रमेंट आफ सपोर्ट-एएमएस नहीं दे सकते हैं। इसका अर्थ कृषि उत्पादन के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत तक सब्सिडी होना है। एएमएस में 'उत्पाद संबंधी' सब्सिडी तथा 'गैर-उत्पाद संबंधी' सब्सिडी शामिल हैं। कृषि निवेशों, जैसे उर्वरक, बीज, सिंचाई व बिजली पर सब्सिडी इसमें शामिल हैं। 'उत्पाद संबंधी' सब्सिडी में किसानों को बाहरी संदर्भ मूल्य-ईआरपी पर आधारित अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी शामिल है जो कृषि उत्पाद के अनुसार बढ़ता है। उदाहरणार्थ 2023-24 में एमएसपी से जुड़ा ईआरपी 1986-88 में वैश्विक मूल्य पर आधारित था। यदि विकासशील देश 10 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी देता है तो यह डब्लूटीओ प्रतिबद्धता का उल्लंघन होगा। यह भारत के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है क्योंकि एएमएस के 10 प्रतिशत से अधिक होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बाली में 2013 में एमसी-9 में 'शांति प्राविधान' पर सहमति बनी थी जिसके अनुसार, 'यदि कोई विकासशील देश 10 प्रतिशत से अधिक एएमएस देता है तो कोई सदस्य देश इसे 2017 तक चुनौती नहीं देगा, जब डब्लूटीओ उनकी खाद्य सुरक्षा चिन्ताओं के लिए स्थाई समाधान पर गौर करेगा।'

लेकिन इसके साथ अनेक शर्तें भी लगाई गई थीं जिनमें खाद्य पदार्थ खरीद, भंडारण, वितरण व सब्सिडी पर डेटा देना शामिल है। इनमें यह भी शामिल था कि सब्सिडी 'व्यापार विकृति' वाली नहीं होंगी। इसके साथ ही 2013 के बाद क्रियान्वित कार्यक्रम 'शांति प्राविधान' के अंतर्गत नहीं आते हैं। दिसंबर, 2014 में डब्लूटीओ-जीसी ने उपयुक्त निर्णय में परिवर्तन कर कहा कि 'शांति प्राविधान का विस्तार स्थाई समाधान निकलने तक जारी रहेगा।' भारत ने इस परिवर्तन से सहमति प्रकट की। एक दशक बाद भी भारत अभी समाधान की राह देख रहा है। एसएसएम में भी सदस्य देशों को आयात या मूल्य में कमी की स्थिति में 'निश्चित सीमा' से अधिक टैरिफबढ़ाने की अनुमति नहीं है।

2015 में नैरोबी में एमसी-10 ने कहा था कि विकासशील देशों को हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणा के अनुसार एसएसएम का अधिकार है। लेकिन दो दशक बाद भी एसएसएम की व्यवस्था नहीं बनी है। विकसित देशों ने 'काटन सब्सिडी' भी नहीं छोड़ी है। कुल मिला कर कहें तो डब्लूटीओ में जारी वार्ताओं के बावजूद बहुसंख्य विकासशील देश लक्षित लाभ नहीं प्राप्त कर सके हैं।

इन वार्ताओं में भारत लगभग 80 देशों का नेतृत्व कर रहा है क्योंकि जी 33 में भारत के साथ अफ्रीका, कैरीबियन व प्रशांत देश शामिल हैं। इस स्थिति में विकसित देशों की जिद तथा डब्लूटीओ में उनके प्रभुत्व को देखते हुए एमसी 14 से भी ज्यादा उम्मीद नहीं है।

कार्यस्थल पर निगरानी व्यवस्था

> रिमोट और हाइब्रिड कार्य के उदय ने व्यवसायों के संचालन, प्रबंधन और अपने कर्मचारियों की निगरानी करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

शाईनी शर्मा
(लेखिका, शिक्षाविद हैं)

आधुनिक कार्यस्थल में, रिमोट और हाइब्रिड कार्य के उदय ने व्यवसायों के संचालन, प्रबंधन और अपने कर्मचारियों की निगरानी करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सबसे विवादास्पद विकासों में टैटलवेयर या ब्रासवेयर का बढ़ता उपयोग है, जो सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के सामान्य उपनाम हैं जो काम के घंटों के दौरान कर्मचारियों की गतिविधियों की निगरानी करते हैं।

सामान्यीकृत रिमोट वर्क के आगमन के साथ, कर्मचारियों की नियोक्ता निगरानी में तेजी आई है। आज, ऐसे उपकरण कीस्ट्रोक्स, माउस मूवमेंट, स्क्रीनशॉट और यहां तक कि किसी कर्मचारी के डिवाइस से वीडियो या ऑडियो फीड सहित डेटा की एक विस्तृत श्रृंखला को ट्रैक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि बहुत उन्नत सिस्टम पैटर्न का विश्लेषण करने, अनुत्पादक व्यवहार को चिह्नित करने या संभावित सुरक्षा उल्लंघनों का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भी कर सकते हैं। नियोक्ता दावा करते हैं कि ये उपकरण काम की आदतों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, संवेदनशील डेटा की सुरक्षा करते हैं और समग्र दक्षता में सुधार करते हैं। यह व्यवसायों को उत्पादकता मीट्रिक को ट्रैक करने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी समय सीमा को पूरा करते हैं और कुशलता से काम करते हैं, खासकर दूरस्थ सेटअप में जहां भौतिक पर्यवेक्षण अनुपस्थित है।

साथ ही, ऐसे निगरानी उपकरण अनधिकृत गतिविधियों की निगरानी करके डेटा उल्लंघन या बौद्धिक संपदा चोरी को रोकने में मदद करते हैं। इसके अलावा, ये उपकरण काम के घंटों या प्रदर्शन के बारे में विवादों में सबूत प्रदान करते हैं, जिससे कर्मचारी गतिविधि का

एक वस्तुनिष्ठ रिकॉर्ड मिलता है। जब पारदर्शी और नैतिक रूप से लागू किया जाता है, तो ये उपकरण जवाबदेही को भी बढ़ावा देते हैं और खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। उपर्युक्त लाभों के बावजूद, टैटलवेयर का उपयोग महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं को जन्म देता है जिसमें सबसे आम बात गोपनीयता है। कर्मचारियों का मानना ????है कि गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है, और अत्यधिक निगरानी इसका उल्लंघन कर सकती है। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 78 प्रतिशत नियोक्ता कर्मचारी के प्रदर्शन या ऑनलाइन गतिविधि को ट्रैक करने के लिए निगरानी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। जब कर्मचारियों की लगातार निगरानी की जाती है, तो वे अक्सर अमानवीय महसूस करते हैं, जैसे कि वे अविश्वसनीय हैं या केवल डेटा बिंदुओं तक सीमित हैं, जिसके परिणामस्वरूप नियोक्ता और उनकी टीमों के बीच विश्वास खत्म हो जाता है, जिससे सहयोग और वफादारी को बढ़ावा देना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त, मनोवैज्ञानिक प्रभाव अक्सर उन्हें तनाव, चिंता और बर्नआउट की ओर ले जाता है। कर्मचारी अधिक काम करने या प्रदर्शनकारी उत्पादकता में संलग्न होने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं - वास्तव में योगदान देने के बजाय व्यस्त दिखने के लिए। समय के साथ, यह रचनात्मकता, नवाचार और समग्र नौकरी की संतुष्टि को नुकसान पहुंचा सकता है।

इतना ही नहीं, बल्कि टैटलर के इस्तेमाल से कानूनी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जिसमें कंप्यूटर से दूर किए गए काम के लिए अवैतनिक वेतन या निजता में दखलंदाजी के दावे शामिल हैं। कुछ नियोक्ताओं पर अनुचित श्रम प्रथाओं के आरोप लगते हैं, अगर निगरानी संरक्षित गतिविधियों, जैसे कि यूनियन बनाने में हस्तक्षेप करती है? टैटलर द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए, व्यवसायों को कर्मचारियों के अधिकारों के सम्मान के साथ उत्पादकता लक्ष्यों को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि सही कहा गया है पारदर्शिता सफलता की कुंजी है।

केवल तभी जब कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि उनकी निगरानी की जा रही है, ऐसे टैटलर के उपयोग की आवश्यकताएं या डेटा का उपयोग कैसे किया जाएगा, इससे विश्वास बनाने और साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

जैसे-जैसे व्यवसाय दूरस्थ और हाइब्रिड कार्य की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, उन्हें कार्यस्थल की निगरानी के लिए एक विचारशील और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। केवल पारदर्शिता, निष्पक्षता और व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान को प्राथमिकता देकर, कंपनियां और व्यावसायिक संगठन ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो उत्पादकता और मानवीय गरिमा दोनों को महत्व देता है।

आप की बात

महाराष्ट्र में नयी सरकार

देवेंद्र फडणवीस की सरकार और शिवसेना राकंपा के साथ गठबंधन का सामंजस्य करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गठबंधन को प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कई उपाय करने होंगे। सर्वप्रथम, सरकार को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा। इससे जनता को यह विश्वास होगा कि सरकार उनके हितों के लिए काम कर रही है। दूसरा, सरकार को अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना होगा। इससे सरकार को अपने कार्यक्रमों को लागू करने में मदद मिलेगी और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। तीसरा, सरकार को अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक समयबद्ध योजना बनानी होगी। इससे सरकार को अपने कार्यक्रमों को पूरा करने में मदद मिलेगी और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। चौथा, सरकार को अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक प्रभावी मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापित करनी होगी। इससे सरकार को अपने कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी करने में मदद मिलेगी और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार को अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक प्रभावी संचार प्रणाली स्थापित करनी होगी। इससे सरकार को अपने कार्यक्रमों के बारे में जनता को सूचित करने में मदद मिलेगी।

- **सुभाष बुड़ावनवाला**, रतलाम

हिन्दुओं की शरणस्थली

अब तो विश्वास करलो सोए हुए हिन्दुओं! कि विश्व के 200 देशों में से भारत के अतिरिक्त तुम्हारा कोई शरणस्थल नहीं।और यदि है तो केवल दक्षिण में हिन्दमहासागर बचा है। क्योंकि गांधी - नेहरू ने सत्ता के मोह में जिस पाकिस्तान का निर्माण किया था तब लगा था कि एक नये और स्थाई शत्रु को हमने अपनी आस्तीन में पाल लिया। किन्तु 1971 में इन्दिरा गांधी ने एक और नये शत्रु का उपहार देश को दे दिया। क्योंकि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। बांग्लादेश पाकिस्तान से भी दो कदम आगे निकल गया, हिन्दुओं पर अत्याचार करने में। अब वो सेक्युलर जमात जिसका नेतृत्व कांग्रेस और वामपंथी करते हैं, क्या कहेगी ? जो यह कहते नहीं अघाते थे कि इन्दिरा ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके उसे कमजोर कर दिया। कमजोर नहीं बल्कि एक के स्थान पर दो शत्रु बना दिये देख लो सेल्यूलरों और गंगा - जमुनी तहजीब के झण्डाबरदारों नागों को दूध पिलाने का परिणाम।जिनको पाकिस्तान के खूनी चंगुल से मुक्त कराने को भारत के 3500 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उसी के लिए आज भारत और हिन्दू सबसे बड़े शत्रु बन गये। कहां हैं भाई- चारे की दुहाई देने वाले? जरा वो चटगांव और ढाका में जाकर अपने भाई -चारे और गंगा - जमुनी तहजीब की लाश को देख लें और फिर देश के हिन्दुओं की आंख में आंख डालकर सीख दें भाई- चारे की।

- **डॉ नरेंद्र टोंक**, मेरठ

बीमारियों की चुनौती

देश में स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों के नफा-नुकसान सामने है। स्वास्थ्य के लिए अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में तपेदिक (टीबी) एक बड़ी चुनौती बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 2040 तक भारत में 6.2 करोड़ नए टीबी मामलों आने और उनमें 80 लाख मौतों की आशंका जाहिर की है। यह जीडीपी के लिए भी 146 अरब डॉलर तक नुकसानदायक साबित हो सकता है। इससे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होना तय है। इसके विपरीत मलेरिया से काफी हद तक जंग जीतने को अग्रसर है।कुछ सालों पूर्व दक्षिण-पूर्व एशिया के 8 मलेरिया-प्रभावित देशों के आधे मामले भारत में थे, लेकिन मलेरिया उन्मूलन अभियान से बड़ी सफलता मिली है। डब्ल्यूएचओ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2017 से 2023 के बीच भारत में मलेरिया के मामलों में 69 प्रतिशत और मौतों में 68त्न की कमी आई। 2017 में जहां मलेरिया के 64 लाख मामले थे, 2023 में 20 लाख रह गए। इससे मौतें भी 11,110 से घटकर 3,500 रह गई। बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और जागरूकता के कारण मलेरिया का जोखिम प्रति 1,000 की आबादी पर 20 से घटकर 1.5 रह गया, जो 93 प्रतिशत की कमी दर्शाता है लेकिन अब भी मलेरिया के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बाकी बची है।

- **अमृतलाल मारू**, इंदौर

नक्सलवाद की चुनौती

नक्सलवाद, जो विशेष रूप से भारतीय ग्रामीण इलाकों में फैला हुआ है, लंबे समय से देखने में आया है कि हमारे समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। यह एक अत्यंत हिंसक आंदोलन है, जो समाज के पिछड़े और शोषित वर्गों के नाम पर उत्पन्न हुआ, लेकिन आज यह व्यापक रूप से असामाजिक तत्वों द्वारा समर्थित और राजनीतिक एजेंडे के तहत चलाया जाता है। नक्सलियों के आंदोलनों का मूल उद्देश्य सत्ता की स्थापना और शोषण के खिलाफ संघर्ष है। हालांकि, समय के साथ यह आंदोलन हिंसा, आतंकवाद और समाज में असंतुलन का कारण बन चुका है। गृह मंत्री ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण की अपील सही ही की है क्योंकि नक्सलवाद के प्रभाव में अनेक गांव और आदिवासी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जहां लोग इस विचारधारा को अपनाते हैं, लेकिन इसका परिणाम केवल हिंसा और अशांति के रूप में सामने आता है। नक्सलियों पर लगातार दबाव बना कर केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में अग्रसर है।

- **भगवानदास छारिया**, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते है।

दैनिक बढ़ता राजस्थान

सम्पादकीय

नशे के आदी युवाओं में सुधार की गुंजाइश, उपेक्षा के बजाय उसके प्रति करना चाहिए उचित व्यवहार

एक संवेदनशील समाज अपने बीच पल रही नकारात्मक प्रवृत्तियों की पहचान करता और उसे नजरअंदाज करने के बजाय दूर करने के लिए उचित रास्ते अपनाता है। विडंबना है कि हमारे आसपास कई ऐसी स्थितियां होती हैं, जिन्हें लेकर समाज आमतौर पर उपेक्षा और कई बार उसे खारिज करने का रवैया अख्तियार कर लेता है। नतीजतन वह समस्या और जटिल होती जाती है। समूचे देश के युवाओं के बीच मादक पदार्थों की बढ़ती लत या नशे की आदत एक ऐसी समस्या है, जिससे निपटने में समाज से लेकर सरकार तक ने एक तरह की उदासीनता ही दर्शाई है। बल्कि आमतौर पर मादक पदार्थों के लती युवाओं में सुधार या नशे से मुक्ति की गुंजाइश पैदा करने के बजाय उन्हें सबके लिए खतरनाक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। जबकि यह हमेशा साबित हुआ है कि इस तरह की नकारात्मक सामाजिक प्रतिक्रिया की वजह से जो युवा मादक पदार्थों के दलदल से बाहर आ सकते थे, वे भी अपनी उपेक्षा और खुद को अपमानित किए जाने की वजह से उस संजाल में और ज्यादा उलझते चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर रोशनी डाली और इससे प्रभावित युवाओं का 'दानवीकरण' करने के बजाय उनके पुनर्वास पर जोर दिया। यह छिपा तथ्य नहीं है कि समाज में एक बड़ा तबका किसी न किसी तरह के मादक पदार्थ का सेवन करता है, मगर इसके समांतर ऐसे लोगों के प्रति एक नकारात्मक भाव भी होता है। जब कोई युवा संगति या अन्य वजहों से धूम्रपान, शराब या इससे ज्यादा घातक नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है, तब उसके प्रति एक आम सामाजिक प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होती, जिसमें उसके उस जाल में फंसने के कारणों पर गौर करके उससे निकालने की इच्छाशक्ति दिखे। इसके उलट इस दुश्चक्र में फंसे युवाओं के बारे में नकारात्मक धारणा बनाई जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि एक लत का शिकार होकर पहले ही उद्वेलन और द्वंद्व के मनोविज्ञान में फंस गया व्यक्ति अपने प्रति अपमानजनक और उपेक्षित रवैये से चोट खाकर और ज्यादा नशे में डूब जाता है। सवाल है कि नशे के संजाल में फंसे युवा के एक बेहतर मनुष्य होने की उम्मीद पालने वाले समाज को इससे क्या हासिल होता है। व्यवहार मनोविज्ञान की कसौटी पर देखें तो मादक पदार्थों की लत या अनुचित आदत का शिकार हो गए व्यक्ति में भी अपने प्रति संवेदनशील बर्ताव और उचित तौर-तरीके के जरिए बदलाव लाया जा सकता है, उसे इस जाल से बाहर निकाला जा सकता है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मादक द्रव्यों की लत के बहुआयामी कारणों की ओर इशारा किया, जिसमें शैक्षणिक दबाव, पारिवारिक अशांति और नशीली दवाओं की आसान उपलब्धता शामिल है। ये कारक ही अक्सर किशोरों और युवाओं के बीच भावनात्मक पलायनवाद के रूप में मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ावा देते हैं। पिछले कुछ समय से इन्हीं जटिल परिस्थितियों का फायदा उठा कर अवैध व्यापार करने वाले इसका इस्तेमाल आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देने में कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर विशेष

अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति ज्यादा खतरनाक

भारत 'लोकतंत्र की जननी' कहलाता है, यहां के लोकतंत्र को खूबसूरती प्रदान करने के लिये भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है और भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई उपर्म एवं प्रयोग करता है। सरकार उन लोगों का गंभीरता एवं समानता से ख्याल रखती है जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों सहित उनकी जाति, संस्कृति और समुदाय के बावजूद आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित लोग हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक राष्ट्र में अलग-अलग जातीय, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक समूह होते हैं।

ललित गर्ग

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पहली बार 18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा, राष्ट्र निर्माण में योगदान के रूप में चिन्हित कर अल्पसंख्यकों के क्षेत्र विशेष में ही उनकी भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि की सुरक्षा को सुनिश्चित करने एवं समाज को जागृत करने हेतु मनाया जाता है। इस साल थीम 'विविधता और समावेश का जश्न मनाना' है। इसका उद्देश्य भारत के अल्पसंख्यकों की समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देना है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि अल्पसंख्यक के अधिकार सिर्फ आकांक्षाएं नहीं हैं, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए लोगों और समुदायों को सशक्त बनाने का एक व्यावहारिक तरीका भी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अल्पसंख्यकों की परिभाषा दी है कि ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा। भारत में, इस दिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा को जीवंतता प्रदान करने का दिवस है। भारत में केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के गैर-भेदभाव और समानता के अधिकारों की गारंटी के प्रयास सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है। इस दिन, देश के अल्पसंख्यक समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर ध्यान खींचा जाता है। लोग धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की बात करते हैं।

भारत में अनेक अल्पसंख्यक समुदाय है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की, जो संविधान और संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों में दिए गए अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और संरक्षण करते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस अल्पसंख्यकों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के मकसद से मनाया जाता है। हालांकि, कानूनी रूप से भारत के संविधान में अल्पसंख्यक की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है लेकिन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संविधान के कई प्रावधान अनुच्छेद 29, 30 आदि हैं। अल्पसंख्यक शब्द अल्प और संख्यक दो शब्दों से बना है। जिसका मतलब दूसरों की तुलना में कम संख्या होना है। भारत में अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल हैं। जरूरत है कि अल्पसंख्यकों को नहीं बांटें और सत्य को नहीं ढकें। लोकतंत्र भारत की आत्मा है और उसकी रगों में लोकतंत्र रचा-बसा है। यहां सभी को समानता से जीने का अधिकार है, जाति, पंथ एवं धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याण एवं अधिकारों पर बल दिया है तभी उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलती है। अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के आरोप पर मोदी ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में धर्म, जाति, उम्र या भू-भाग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। हमारी सरकार लोकतंत्र के मूल्यों के आधार पर बने संविधान के आधार पर चलती है तो पक्षपात का कोई सवाल ही नहीं उठता है। 'सबका' शब्द में सभी अल्पसंख्यक वर्ग को सम्मिलित करने का भाव है, मोदी सरकार ने अपने नए नारे के साथ ये एहसास दिलाने का प्रयास किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय का भी विश्वास अर्जित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तीन तलाक के विरुद्ध कानून लाकर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को बहुसंख्यक समाज के महिला के बराबर बताने की कोशिश ऐसा ही प्रयास है। भारत की माटी ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का उद्घोष करके सभी प्राणियों के सुखी एवं समृद्ध होने की कामना की है। यहां अल्पसंख्यकों के साथ इसी उद्घोष की भांति उदात्तता बरती जाती है। महात्मा गांधी ने कहा भी है कि किसी राष्ट्र की महानता इस बात से मापी जाती है कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है।' इस दृष्टि से आजादी के बाद की सभी सरकारों ने अल्पसंख्यकों के साथ उदात्त एवं कल्याणकारी दृष्टिकोण अपनाया है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थों के लिये अल्पसंख्यकों को गुमराह किया है, साम्प्रदायिक उन्माद पैदा किया है। जिससे भारत के लोकतंत्र पर लाल और काले भब्बे लगते गये हैं। इन्हीं संकीर्ण एवं साम्प्रदायिकता की राजनीति करने वाले दलों ने अल्पसंख्यकों के कल्याण की बजाय उनको वोट बैंक मानकर उनके वास्तविक अधिकारों की अनदेखी की है। ऐसे राजनेताओं ने अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है, कहकर उन्हें उकसाया है, राष्ट्र की मूलधारा से अलग-थलग करने की कोशिश की है, लेकिन मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण की अनेक बहुआयामी योजनाओं एवं नीतियों को लागू कर इन तथाकथित नेताओं की जुबान पर ताला लगा दिया है। सच कहा जाये तो देश में अल्पसंख्यक खतरे में नहीं हैं, अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति करने वाले खतरे में हैं। भारत विविध संस्कृतियों और समुदायों का देश है, यही इसका सौन्दर्य है। एक या अधिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और जबरन आत्मसात करने से समृद्ध और ऐतिहासिक संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का नुकसान हो सकता है जिन्होंने सदियों से भारत में अपनी विरासत संभाली है। विशिष्ट भारतीय समुदायों की सांस्कृतिक रूप से विविध पहचान को केवल अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करके ही बरकरार रखा जा सकता है। भारतीय सामाजिक प्रथाओं में प्रत्येक संस्कृति और धर्म के प्रति सहिष्णु और सर्व-समावेशी दृष्टि समाई शामिल है। भेदभाव, जबरन आत्मसातीकरण एवं धर्म-परिवर्तन समुदायों को खतरे में डालता है और भारतीय समाज के समग्र सार एवं उसके मूल स्वरूप को प्रभावित करता है। भेदभाव नफरत का सबसे खराब एवं वीभत्स रूप है। लोगों के एक समूह के खिलाफ उनकी भाषा या सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर हिंसक कार्रवाई करना किसी व्यक्ति के विवेक के लिए हानिकारक है। खतरा मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजों और गुरुद्वारों को नहीं है। खतरा हमारी संस्कृति को है, हमारी संस्कृतिक एकता को है, जो हमारी हजारों वर्षों से सिद्ध चरित्र की प्रतीक है। जो युगों और परिवर्तनों के कई दौरों की कसौटी पर खरा उतरा है। कोई बहुसंख्यक और कोई अल्पसंख्यक समुदाय है, तो इस सच्चाई को स्वीकार करके रहना, अब तक हम क्यों नहीं सीख पाए? देश में अनेक धर्म के सम्प्रदाय हैं और उनमें सभी अल्पमत में हैं। वे भी तो जी रहे हैं। उन सबको वैधानिक अधिकार हैं तो नैतिक दायित्व भी हैं। देश, सरकार संविधान से चलते हैं, आस्था से नहीं। धर्म को सम्प्रदाय से ऊपर नहीं रख सके तो धर्म का सदैव गलत अर्थ निकलता रहेगा।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई दिनों तक्रों से घुरे रहेंगे। तब आप एक अच्छा दोस्त है कि आपके सौहाद के ऐसे साथियों सेवा दे है, जब आपको जिंदगे बुरार लगेगे और दुनिये लगेगा, आपको मित्र बनाने से लाभकारक लगेगा एवंमित्र। यह से मित्रों सबसे ज्यादा से और अधिक खुशे को सुलझाने लाभकारक आज को सकल्पित करेंगे, क्योंकि एकजुटित लक्ष्यों में ही, जब एक लाभकारक सही लक्ष्य और कामों में लक्ष्य प्राप्त होगे

मेष

चिंता से मुक्ति का अनुभव करेंगे। मित्रों के साथ किसी प्राकृतिक स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। आज का दिन भोजन सुख के लिए अच्छा है। आपके दृढ़ मनोबल और भरपूर आत्मविश्वास से हर काम सफलतापूर्वक संपन्न होंगे।

वृष

विदेश जाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होगा। रोहनीजनों के समागम मिलने से आनंद होगा। भाई-बहनों से आर्थिक रूप से लाभ होगा। आप की वाणी पर संयम रखें। नियम विरुद्ध काम ना करें।

मिथुन

आपकी आय में वृद्धि होगी। किसी अन्य तरीके से भी आर्थिक लाभ होगा। मित्रों के साथ मुलाकात हो सकती है। व्यापार में लाभ होगा। संतान और जीवनसाथी से सुख मिलेगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कर्क

आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा। मानसिक चिंता के कारण मन व्यग्र रहेगा। अनुचित कार्यों में शक्ति का व्यय होगा। आध्यात्मिकता और ईश्वरीय शक्ति आपकी सहायक सिद्ध होगी। आज का दिन आपके लिए बहुत लाभकारी है। आज आपके लिए आर्थिक लाभ का दिन है।

सिंह

जमीन जायदाद के काम में सावधानी रखें। आज आप का दिन बहुत शुभ है। धार्मिक कार्य एवं यात्रा के लिए समय अनुकूल है। मित्रों एवं सम्बंधियों से हुई मुलाकात के कारण आनंद होगा। मित्रों से लाभ होगा।

कन्या

अपने उत्तदायित्व अच्छी तरह से निभा पाएंगे। आर्थिक योजना बना सकेंगे। आधुनपु, सौंदर्य प्रसाधन और मनोरंजन के पीछे खर्च होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आनंदपूर्वक समय बीतेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नए संबंधों से नुकसान हो सकता है।

तुला

आज आप खर्च में संयम बनाए रखें। अनावश्यक कारणों पर भी धन खर्च हो सकता है। धन संबंधी एवं लेन-देन संबंधी सभी कामों में सावधानी रखने की जरूरत है। मित्रों एवं परिवारजनों के साथ मनमुटाव होने की आशंका बनी रहेगी।

वृश्चिक

व्यापार के क्षेत्र में आपको प्रतिभा बढ़ सकती है। पदोन्नति की संभावना है। पिता की संपत्ति से लाभ होगा। कला एवं खेल-कूद में निपुण व्यक्तियों को अपनी प्रतिभा दर्शाने का मौका मिलेगा। सरकार के साथ धन का व्यवहार सफल रहेगा।

धनु

किसी मनोरंजन स्थल या पर्यटन स्थल पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। मित्रों और स्वजनों के साथ घूमना-फिरना आनंदप्रद हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय गुजरेगा।

मकर

आज आपका दिन शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता के साथ चिंता में भी रहेगा। आज कोई भी काम बिना विचारे नहीं करें। व्यवहार से किसी को कोई भ्रम न हो इसका ध्यान रखें। दुर्घटना में संभलना आवश्यक है।

कुंभ

आज का दिन मध्यम फलदायी है। हर काम में सतर्क रहने की जरूरत है। आज का दिन शुभ फलदायी है। आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि होगी। मानसिक रूप से आज आप वैचारिक स्थिरता का अनुभव करेंगे।

मीन

ईश्वर की आराधना एवं आध्यात्मिकता आपके मन को शांति प्रदान कर सकती है। परिवार के साथ दिन गुजारें, इससे आपको खुशी महसूस हो सकती है। आज आप दैनिक कामों से दूर आनंद-प्रमोद में खोए रह सकते हैं। घर में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

अनुराग हरित (राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी)

नमस्कार साथियों हमारी आज के कॉलम के स्टार हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अनुराग हरित जी। 20 मार्च सन 1981 को दिल्ली में जन्में अनुराग शुरू से ही होनहार रहे हैं। बेहद शानदार अधिकारी है उससे भी कहीं अच्छे इंसान हैं हरित। अलवर तहसीलदार के पदस्थापन के दौरान इनकी कार्यशैली को बेहद करीब से देखने का मौका लंगा साथ ही एक दिन में जब यह मालाखेड़ा तहसीदार थे तब इनसे मिलने गया तो हर गाँव का आदमी सीधा इनके पास पहुँच रहा था और ये सभी को बिना तनाव के अच्छे से अटेंड कर रहे थे सभी ग्रामीणों को बेहद प्यार से समझा रहे थे।

बाहर आकर भी ग्रामीणों में इनकी चर्चा सुनकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ। राजस्थान तहसीलदार सेवा में बतौर नायब तहसीलदार लगे और आज उप जिला कलक्टर खानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड़ पद को सुशोभित कर रहे हैं। इससे पूर्व ये उपखण्ड अधिकारी, नगर डीग रहे। उपखण्ड अधिकारी, बूंदी। निजी सचिव, मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जेल विभाग पंचायती राज के अधीनस्थ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग स्वतंत्र प्रभार जयपुर टीकाराम जुल्ली रहे। उप खण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा अलवर। तहसीलदार, मालाखेड़ा अलवर। तहसीलदार, थानागाजी, अलवर। तहसीलदार, अजमेर। तहसीलदार, राजस्व बोर्ड अजमेर। तहसीलदार, अलवर। तहसीलदार, जयपुर। सहायक बंदोबस्त अधिकारी, भरतपुर। नायब तहसीलदार, अलवर रहे हैं। बेहद शानदार शख्सियत के रूप में इन्हें जाना जाता है। हमेशा मुस्कान भरे चहरे से आने वाले हर शख्स का स्वागत करते हैं। कभी इन्हें तनाव में नहीं देखा गया। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।

रूपक शर्मा

विशेष आलेख

सदैव गुंजायमान रहेगी उस्ताद जाकिर हुसैन के तबले की थाप

सुनिल महता

भारत ही नहीं दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन हमारे बीच अब नहीं रहे।15 दिसंबर 2024 को 73 साल की उम्र में सेन फ्रांसिस्को के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वे सांस की बीमारी इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस) से ग्रस्त थे।घातकों को बताता चलू कि उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था और वे तबला वादक उस्ताद अल्ला रक्खा के बेटे थे। बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि उनका पूरा नाम जाकिर हुसैन अल्लारक्खा कुरेशी था। यह भी बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि जाकिर हुसैन को पद्मित रविशंकर ने उस्ताद कहा था। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन् 1988 में पद्मश्री तथा सन् 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, वर्ष 2023 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था साल 1990 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड प्रदान किया गया था। इतना ही नहीं,वर्ष 2016 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें ऑल स्टार ग्रैमीवर कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया था। जाकिर हुसैन पहले इंडियन म्यूजिशियन थे, जिन्हें यह निमंत्रण मिला था। यह भी एक तथ्य है कि जाकिर हुसैन ने अपना पहला शो सिर्फ 7 साल की उम्र में किया था। यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि जाकिर हुसैन ने महज 11 साल की उम्र में ही अमेरिका में अपना पहला कॉन्सर्ट किया था। इसके बाद साल 1973 में अपना पहला एल्बम लिविंग इन द मैटेरियल वर्ल्ड लॉन्च किया। संगीत के साथ ही उन्होंने उन्होंने 1989 की फिल्म 'हीट एंड डस्ट' में अभिनय भी किया। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि वे 66वें ग्रैमी अवॉर्ड समारोह में भारत के पहले संगीतज्ञ बने, जिन्होंने अलग-अलग श्रेणियों में एक साथ तीन ग्रैमी अवॉर्ड हासिल किए। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी संगीत के बीच दूरियों को कम किया था, जैसा कि उन्हें भारतीय संगीत के साथ ही पाश्चात्य संगीत की बहुत अच्छी जानकारी थी।

सच तो यह है कि जाकिर हुसैन को तबला का रॉकस्टार कहा जाता था।1970 के दशक में उन्होंने पश्चिमी संगीतकारों के साथ काम करके भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। महत्वपूर्ण तथ्य है कि उस्ताद जाकिर हुसैन ने प्रसिद्ध गिटारवादक जॉन मैकलॉघलिन के साथ मिलकर फ्रांशतिफ़ नामक एक फ्यूज़न म्यूजिक बैंड बनाया था। यह बैंड भारतीय शास्त्रीय संगीत और जैज़ संगीत का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता था। उनके इस प्रयोग ने भारतीय संगीत को पश्चिमी श्रोताओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया।ध्यान शुरूआती दौर में वे ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा करते थे और सीट न मिलने पर कोच में फर्श पर अखबार बिछाकर सो जाया करते थे लेकिन तबला हमेशा उनकी गोद में रहता था। पाठकों को बताता चलूं कि जाकिर हुसैन ऐसे कलाकार थे जो अपने लंबे और घुंघराले बालों के लिए मशहूर थे। वे संगीत को मात्र एक कला ही नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम मानते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो संगीत उनके लिए मेडिटेशन था। पुराने जमाने में उनका टीपी पर चाय का विज्ञापन आखिर कौन भूल सकता है ? पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि ताज चाय के विज्ञापन में तबला बजाते हुए जाकिर हुसैन द्वारा बोला गया वाक्य वाह ताज बोलिए तो आप एक आईकॉन बन चुका है। कहते हैं कि जाकिर हुसैन ने एक प्रस्तुति के दौरान तबले से महादेव के डमरू और महादेव के गणों के शंखनाद की धुन निकाल दी थी। उनकी इस प्रस्तुति को उस समय लोगों ने उन पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद बताया था। वे ऐसे संगीतज्ञ थे जिन्होंने कभी भी किसी निजी समारोह, कॉर्पोरेट कार्यक्रम या शादियों में प्रस्तुति नहीं दी। जाकिर हुसैन ने अपनी मेनेजर रही एनटोनिया मिनेकोला से शादी की, जो कि एक कथक डांसर व शिक्षक हैं। उन्हें दो बेटियां हैं, जिनके नाम अनीशा और इसबेला कुरैशी हैं। कहते हैं कि उनकी उंगलियों और हाथ की थाप में जादू थी। कहना गलत नहीं होगा कि उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अंत में यही कहूंगा कि आज भले ही जाकिर हुसैन हमारे बीच नहीं हैं लेकिन कला और संगीत के प्रति उनकी अमिट साधना, उनके तबले की थाप दुनिया के हर किसी संगीत प्रेमी के दिल में हमेशा गूंजती रहेगी।

ईश्वर और स्थित

एक बार एक जहाज पानी में हिचकोले खाए चला जा रहा था। सूरज डूबने को था आसमां पर लालीमा छाई हुई थी। यानी कि जहाज में बैठे लोग पश्चिम का मजा ले रहे थे कि अचानक तेज तूफान आ गया। समुद्र की लहरें उछाला मारने लगी। जहाज भी ऊपर नीचे होने लगा। जहाज में बैठे सभी यात्रियों ने चीख पुकार भी मच गई। पेसे में दो मिनट पहले सब अपनी मस्ती में मस्त ईश्वर को बिना याद करे अपने इस मालिक को एजाय कर रहे थे कि अचानक सबकी जुबा पर ईश्वर का नाम आने लगा। जहाज में एक फकीर बैठा था ना वो ईश्वर से दुआए कर रहा था ना ही रोते हुए चायना। बाकि लोग तो ईश्वर को रिश्ते देने का दाम कर रहे थे कोई कह रहा था कि एक बार बचा ले तो मस्जिद पर रंगरोगन करवाऊंगा तो कोई हनुमानजी के सवामणी का प्रसाद बोल रहा था। सबको सामने मौत नजर आ रही थी। सबने देखा कि फकीर बे-फिकरी में बैठा है कोई फिकर तक नहीं उसके चेहरे पर, तो सबने कहा कि तुम दुआ क्यों नहीं करते। तुम तो फकीर हो,तुम तो आखिर तक्या था ईश्वर के कायों नजदीक हो तुम अपना धर्म भूल चुके हो क्या? दुआ करो कि ये जहाज डूबने से बच जाए। सुन है फकीर की दुआओं में बड़ा असर होता है। फकीर बोले ये जो तुम भगवान या अल्लाह से खयना कर रहे हो दुआ कर रहे हो वह वायदा कर रहे हो ये खीणा है,जहाज किनारे क्या लगा तुम्हारा भए दूर क्या हुआ तुमारे प्रलोभन का तथ्य ही बदल जाएगा देख लेना। दोनों ही गाथ्य हो जाएंगे, भय दूर हुआ तो ईश्वर को देने वाला प्रलोभन भी बदल जाएगा। ये प्रार्थना है ही नहीं,ये तो मौत की भय के दारण ईश्वर को देने वाली रिश्वत का एक हिस्सा है। काम हुआ तो काहे कि रिश्वत। फकीर ने आसमां की ओर देखा तो एकदम शांत सा हो गया वही जानलेवा तूफान। सब फकीर के पांवों में आ लगे उसकी खिदमद करने लगे आधा घण्टे तक बस गए, आज तो भाई, ये फकीर बाबा ने बचा लिया वो आवाजें गुजती रही। आधा घण्टे बाद जहाज किनारे आ लगा लोग उतरे और अपने-अपने गंतव्य को चल पड़े। फकीर मुस्कुराया और एक बार फिर से उस नीले अंबर वाले की लीला को नमन किया और लोगों द्वारा भीख के भाव से ईश्वर की प्रार्थना के लिए हाथ उठे, माहौल आगे बना और एक पेड़ के नीचे आराम बिछाकर बैठ गया.....।

यही जीवन का यथार्थ है।

रूपक शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार,बढ़ता राजस्थान

आज का इतिहास

18 दिसम्बर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- मंगोल शासक कुबलई खान ने 1271 में अपने साम्राज्य का नाम युआन रखा और यहीं से मंगोलिया और चीन में युआन वंश की शुरुआत हुई।
- तैमूर ने 1398 में सुल्तान नुसरत शाह को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया।
- समुद्री खोजी नाविक तस्मान 1642 में न्यूजीलैंड की धरती पर उतरा। उसी के नाम पर न्यूजीलैंड के समीपवर्ती समुद्र को तस्मानिया समुद्र भी कहा जाता है।
- अमेरिका में 1777 में पहली बार नेशनल बैंक्स गिविंग डे मनाया गया।
- अमेरिकी संविधान को स्वीकार करने वाला न्यू जर्सी 1787 में तीसरा राज्य बना।
- अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन के पार्थिव शरीर को 1799 में माउंट वर्नान में दफनाया गया।
- रूस का राष्ट्रीय गान 'गॉड सेव द जार' 1833 में पहली बार गाया गया।
- अमेरिका के जॉन ड्रैपर ने 1839 में पहली बार किसी आकाशीय पिंड (चंद्रमा) की तस्वीर उतारी।
- विलियम वॉड ने 1849 में टेलीस्कोप के जरिये चांद की पहली फोटोग्राफ ली।
- अमेरिका में पहला मवेशी आयात कानून 1865 में पारित हुआ।
- अल-थानी परिवार 1878 में कतर पर शासन करने वाला पहला परिवार बना।
- फील्ड मार्शल लार्ड राबर्ट्स 1899 में दक्षिण अफ्रीका में पहले ब्रिटिश सुप्रीम कमांडर नियुक्त किये गये।
- ब्रिटेन ने 1914 में औपचारिक रूप से मिस्र को अपना उपनिवेश घोषित किया।
- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में वेरदून में हुए लड़ाई में फ्रांस ने जर्मनी को हराया।
- सोवियत रेजीमेंट ने 1917 में फिनलैंड की स्वतंत्रता की घोषणा की।
- एडवर्ड बेंस 1935 में चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने।
- जर्मनी के वैज्ञानिक और रसायनशास्त्री ऑटोहैन द्वारा नाभकीय उर्जा के विश्लेषण से परमाणु युग का 1938 में आरंभ हुआ।
- सन 1941 में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जापानी सेना हांगकांग पहुंची और आम नागरिकों का कत्ल करना शुरू कर दिया।
- दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे 1945 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना।
- उद्योगपति विजय माल्या का जन्म 1955 में हुआ।
- जापान ने 1956 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की।
- राजधानी दिल्ली में 1960 में राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन हुआ।
- शनि के उपग्रह एपी मैथिल्स की 1966 में खोज हुई।
- इंग्लैंड में 1969 में मृत्युदंड की सजा समाप्त कर दी गई।
- इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की 1973 में स्थापना।
- ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में महिला विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीतने की हैट्रिक बनाई।
- सचिन तेंदुलकर ने 1989 में अपना पहला एकदिवसीय क्रिकेट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था।
- अज्ञात विमान ने 1995 में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हथियारों का जखीरा गिराया।
- भारत और अमेरिका के बीच 1997 में अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के लिए वाशिंगटन संधि सम्पन्न।
- श्रीलंका की राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंग पर 1999 में हुए जानलेवा हमले में 25 लोगों की मृत्यु तथा 100 घायल।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इण्डस्ट्रीयल एरिया खण्डवा,जिलाई रोक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-मनुज चतन। प्रधान संपादक-उप विलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-कार्यालय निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मोहताब सिंह का जोहर,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बुधवार • 18 दिसम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

सदन में निरर्थक चर्चा

देश में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संसद के दोनों सदनों में सत्तारुढ़ गठबंधन और विपक्ष के बीच एक बार फिर टकराव, तीखी बहस और एक बार फिर टकराव देखने को मिला। इस ऐतिहासिक अवसर पर यदि दोनों पक्ष चाहते तो संविधान और उसके महत्त्व पर एक सार्थक बात हो सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। विडंबना देखिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास प्रकट करते हैं, लेकिन दोनों ही उसे कमजोर करने का एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। लोक सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सत्ता पक्ष के दूसरे नेताओं ने संविधान के प्रति पूरी निष्ठा प्रदर्शित की और कांग्रेस पार्टी पर संविधान को कुचलने और कमजोर करने का आरोप लगाया जबकि दूसरी ओर राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर संविधान, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में संविधान अनुच्छेद 370 सहित समान नागरिक कानून संहिता आदि मुद्दों पर चर्चा करते हुए गांधी परिवार को निशाना बनाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर समिति इंदिरा गांधी तक को संविधान पर कुठाराघात करने के लिए कठघरे में खड़ा किया। राज्य सभा में भी संविधान पर बहस के दौरान इसी तरह का दृश्य नजर आया। राज्य सभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के बीच तीखी बहस हुई। लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों में वक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए इतिहास और अतीत के पात्रों का सहारा लिया। जाहिर है ऐसे संवादों से प्रचारगत रणनीति का पलड़ा भले भारी हो सकता है, लेकिन इससे संविधान और लोकतंत्र का भला नहीं हो सकता। लोकतंत्र में संविधान एक ऐसा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है जो नागरिकों के अधिकारों का रक्षक माना जाता है। संविधान के इन 75 साल के इतिहास में कई अवसर ऐसे भी आए हैं जब अपनी कुर्सी और सत्ता के लिए इसका बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश की। इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में आपातकाल थोपना और उसके बाद संविधान का 42 वां संशोधन ऐसा ही अधिनायकवादी कृत्य था। बहस तो इस बात पर होनी चाहिए थी कि देश के गरीब नागरिकों को न्याय कैसे मिले, प्रशासनिक तंत्र को इतना पारदर्शी और न्यायपूर्ण कैसे बनाया जाए कि गरीब और अमीर के बीच भेद-भाव समाप्त हो। कहा जा सकता है कि संसद में संविधान पर चर्चा निरर्थक साबित हुई?

फिर बिगड़ी आबोहवा

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो चुका है। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक के 400 का आंकड़ा पार करते ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चौथे चरण को लागू कर दिया गया। इसके तहत कई क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू हो गए, जिनमें राजमार्गों/फ्लाईओवरों जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के निर्माण, तोड़-फोड़ पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उद्योगों में प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक व डीजल वाहनों के संचालन पर सख्ती के साथ ही बेहद जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों के अतिरिक्त अन्य ट्रक राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकते। विशेषज्ञों के अनुसार खराब मौसमी स्थिति तथा हवा के बिल्कुल शांत होने के कारण प्रदूषण स्तर इस कदर बढ़ा है। इस दरम्यान दिल्ली समेत नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद गुरुग्राम में छात्रों के लिए पढ़ाई हाईब्रिड मोड में होगी यानी फिजिकल व ऑनलाइन दोनों तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। सभी स्कूलों को सरकार की तरफ से छात्रों की उपस्थिति की बाध्यता समाप्त करने के निर्देश हैं। सरकारी कार्यालयों में पचास फीसद कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, शेष घर से काम करेंगे। हवा के इस खतरनाक स्तर को लेकर प्रतिवर्ष इसी तरह हल्ला मचाया जाता है। सरकार की तरफ से इस स्थिति से निपटने के कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। 2016 के बाद के सिर्फ दो वर्षों में ही गंभीर दिनों की संख्या इकाई में रही है। मौसम की इस भयावह स्थिति की सबसे बड़ी कीमत निचले व कमजोर वर्ग को चुकानी पड़ती है। सरकार की लापरवाही और पर्यावरण मंत्रालय को लीपापोती की बजाए ठोस कदम उठाने के प्रयास होने चाहिए। ग्रैप के चौथे चरण के लागू होते ही दिहाड़ी मजदूरों, मेहनतकशों, ट्रक ड्राइवरों व डीजल वाहन चालकों के लिए जो मुश्किलात खड़ी होती हैं, उन पर तो कोई चर्चा ही नहीं होती। छात्रों के लिए सुचारू पढ़ाई में व्यवधान के अतिरिक्त आम जनता को होने वाली स्वास्थ्यगत समस्याओं के प्रति सरकारी उपेक्षा इस वायु प्रदूषण से अधिक खतरनाक है। शीर्ष अदालत द्वारा स्वच्छ व प्रदूषणमुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार बताए जाने के बावजूद सरकारी रवैया बेहद शर्मनाक है। देश में प्रतिवर्ष सिर्फ प्रदूषण के कारण बीस लाख से अधिक मौतें हो रही हैं। इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर में वायु प्रदूषण के स्तर को संभालने के प्रति अतिरिक्त जागरूकता और पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है।

समस्या/नीरज शर्मा 'भरथल'

कबूतरबाजों पर हो सख्ती

अंतरराष्ट्रीय मुद्र कोष (आईएमएफ) द्वारा प्रस्तुत 2024 के आंकड़े देखे तो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर है। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद भारतीय नौजवान अपने सुनहरी सपनों को पूरा करने के लिए विदेश भाग रहा है। विदेश जाने के लिए भारतीय नौजवानों में होड़ सी मची हुई।

अच्छी-खासी संख्या में नौजवान आईईएलटीएस और टोएफएल की तैयारी में वक्त और पैसे लगा रहे हैं। बाहर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में एडमिशन पाने के लिए लाखों की संख्या में छात्र हर साल आवेदन करते हैं। वहीं बाहर जाने की इसी ललक का फायदा उठा फर्जी एजेंट करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। हर साल भारत से विदेशों में अवैध तरीके से भेजे गए लोग पकड़े जाते हैं। मानव तस्करी चरम पर है। ऐसे ही मामले में प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर दिलेर मेहंदी पर भी कबूतरबाजी करने के आरोप लगे थे और वो कुछ दिन जेल में भी रहे थे। कबूतरबाजी के जुगाड़ से बाहर गए बहुत से लोग विदेशी धरती पर हर साल पकड़े भी जाते हैं, जबकि बहुत से वहां पहुंचकर छोटी मोटी नौकरी पाने में सफल भी हो जाते हैं। अवैध रूप से बाहर भेजने का मामला अब काफी गंभीर होता जा रहा है क्योंकि कई बड़े गैंगस्टर और भारत के वांछित अपराधी भी इन अवैध रास्तों का इस्तेमाल कर विदेश भाग गए हैं। एक और तरीका है विदेश जाने का जिसे 'डंकी रूट' कहा जाता है।

स्टूडेंट वीजा या विजिटर वीजा पर उन्हें किसी दूसरे देश में भेजा जाता है और फिर वहां से डंकी रूट अपनाकर यानी सड़क के रास्ते, पहाड़ों, जंगलों, उजाड़ बियाबान रास्तों से उन्हें अमेरिका या यूरोपीयन देशों के अंतरराष्ट्रीय बार्डर की उस जगह पहुंचा दिया जाता है जहां सुरक्षा बंदोबस्त कम होता है। फिर वहां से अवैध तरीके से बॉर्डर पार करवाया जाता है। इस जोखिम भरी प्रक्रिया में कुछ लोग मारे भी जाते हैं और कुछ पकड़े भी जाते हैं और बरसों तक जेल में बंद रहते हैं। बस कुछ भाग्यशाली ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं।

विपक्षी गठबंधन में रस्साकसी

सामयिक

अवधेश कुमार

लोक सभा चुनाव के पूर्व और उसके कुछ समय बाद तक इंडिया गठबंधन के अंदर दिखती एकजुटता और आक्रामकता सतह से भी धीरे-धीरे अगर कमजोर या गायब हो रही है तो इसे भारतीय राजनीति के लिए महत्त्वपूर्ण घटना के रूप में देखना होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन के दलों और नेताओं में भाजपा विरोध या सत्ता से इसे हटाकर उस जगह आने का भाव नहीं है। किंतु सामान्य दृष्टि से भी देखें तो संसद सत्र में कोई एक पार्टी पूर्व की तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर आक्रामक वैर भाव सबसे ज्यादा प्रदर्शित कर रही है तो वह केवल कांग्रेस है।

अदाणी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान का दृश्य साफ बता रहा था कि कांग्रेस इस मामले में अकेले पड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस और सपा इसमें नहीं थी। हालांकि संसद अधिवेशन के दौरान विपक्षी नेता राज्य सभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में इकट्ठे होते दिखे। धीरे-धीरे इसमें परिवर्तन आने लगा। अब साफ हो रहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर मुख्य विपक्षी दलों के अंदर निराशा और दूरी बनाने का भाव बढ़ गया है। इससे इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर भले प्रश्न खड़ा नहीं हो किंतु नेतृत्व को लेकर अवश्य असमंजस की स्थिति बनने का संकेत मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक साक्षात्कार में कहा है कि इंडिया गठबंधन को मैंने तैयार किया है। इसे चलाना उन पर निर्भर है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं।

अगर वह इसे ठीक से नहीं चला पा रहे तो मैं क्या कर सकती हूं? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी तो अभी भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं हैं। उनकी संभल यात्रा पर कटाक्ष किया। यही नहीं उन्होंने उनके नेतृत्व में कांग्रेस के चुनाव हारने का भी जिक्र कर हैसियत बताने की कोशिश कर दी। इन वक्तव्यों को किस तरह देखा जाए यह बताने की आवश्यकता नहीं। विपक्ष की राजनीति पर दृष्टि रखने वाला कोई भी महसूस कर सकता है कि राहुल गांधी और उनके सलाहकारों और रणनीतिकारों को लेकर अन्य घटक दलों में स्पष्ट नाराजगी है। लोक सभा में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल और तीसरी सपा है। ये दोनों पार्टियां राहुल गांधी और कांग्रेस पर स्पष्ट बोल रही हैं। ममता ने भले राहुल और कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन दिख रहा कि नाराजगी किससे है। उनकी अगली पंक्ति देखिए, 'वे लोग मुझे भी पसंद नहीं करते लेकिन मैं सभी राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों के संपर्क में हूं और उन सबसे अच्छा संबंध बनाकर चलती हूं।' जब उनसे पूछा गया कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभालने में क्यों हिचकिचा रही है तो ममता ने कहा, 'गठबंधन का दायित्व मिलने पर मैं बंगाल की बागडोर संभालते हुए इसे बंगाल से भी चला सकती हूं। मैं बंगाल की मिट्टी छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। 'अगर वह कांग्रेस के नेतृत्व से प्रसन्न होतीं या उनके साथ रहने का इरादा रखतीं तो भाषा अलग होती।

सपा के राज्य सभा सदस्य जावेद अली खान का बयान छपा है कि उनकी पार्टी अब भी इंडिया गठबंधन में है, लेकिन इसके भीतर मतभेद हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि ममता को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दिया जाना चाहिए। शरद पवार ने भी लगभग इसका समर्थन कर दिया है। दरअसल, राहुल और उनकी बहन प्रियंका की अदाणी मुद्दे पर ऐसी जिद और हठवादिता को अन्य दल पसंद नहीं कर रहे। वह व्यक्तिगत बातचीत में प्रतिक्रिया भी देते हैं कि राहुल तो अदाणी से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। थोड़ा पीछे लौटेंगे तो ध्यान में आएगा कि कांग्रेस और राहुल को लेकर इस समय इंडिया गठबंधन में शामिल अनेक नेताओं और दलों को पहले भी समस्या थी और उन्होंने सरेआम इसे प्रकट भी किया था। ममता की पार्टी ने राहुल गांधी पर जितने तीखे हमले किए थे उतना भाजपा ने भी कई बार नहीं किया। कोई उन्हें बिना उत्तरदायित्व के नेता तो कोई संघर्ष के समय विदेश रहने वाला कहता था। ममता बनर्जी ने उन्हें अनुभवहीन तक कह दिया था। अखिलेश यादव ने 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, विधानसभा चुनाव से लेकर लोक सभा चुनाव के पूर्व तक जिस तरह कांग्रेस पार्टी पर प्रहार किए थे वह एक दिन में समाप्त नहीं हो सकता था। कांग्रेस की ओर से भी पिछले वर्ष सपा और तृणमूल सहित ममता बनर्जी पर सीधे प्रहार किए गए।

सच यह है कि प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और संघ से विचारों पर सामान्य मतभेद की जगह जन्मजात विरोध और सत्ता में किसी तरह वापस लौटने की भावना से ये दल साथ आए। हालांकि इंडिया गठबंधन के बावजूद कई राज्यों में पूर्ण सीटों का पूरा तालमेल संभव नहीं हो सका। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों ने फिर कांग्रेस को वहीं ला दिया जहां वह लोक सभा चुनाव के पूर्व खड़ी थी। जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस को विजय मिली, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बुरा रहा। कांग्रेस के बगैर उमर अब्दुल्ला ने सरकार गठित कर ली। चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने राहुल और कांग्रेस की आलोचना कर की थी कि उनके लिए जम्मू कश्मीर का चुनाव आवश्यक है या मणिपुर और दूसरी जगह जाना? झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारण ही कांग्रेस को कुछ सीटें प्राप्त हुईं।

महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राऊत ने भी कांग्रेस के रवैये को पराजय के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। चुनाव के दो दिन पूर्व अपनी पत्रकार वार्ता में राहुल द्वारा धारावी पुनर्विकास परियोजना पर अदाणी और मोदी को निशाना बनाने पर महाविकास अगाड़ी के शरद पवार ने ही सार्वजनिक रूप से असहमति प्रकट कर दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अंततः कांग्रेस से अलग रास्ता अपनाया। बावजूद यदि कांग्रेस विशेषकर राहुल और उनके सलाहकारों-रणनीतिकारों को विपक्ष के अंदर उनसे खिन्नता की समझ नहीं आ रही तो मान कर चलना चाहिए कि कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आने वाले। राहुल गांधी और व्यवहार में उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस के अंदर अभी तक वस्तुस्थिति समझकर ईमानदार आत्मंथन की कोई संभावना नहीं दिख रही है।

(लेख में विचार निजी हैं)

दरअसल, राहुल और उनकी बहन प्रियंका की अदाणी मुद्दे पर ऐसी जिद और हठवादिता को अन्य दल पसंद नहीं कर रहे। वह व्यक्तिगत बातचीत में प्रतिक्रिया भी देते हैं कि राहुल तो अदाणी से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। थोड़ा पीछे लौटेंगे तो ध्यान में आएगा कि कांग्रेस और राहुल को लेकर इस समय इंडिया गठबंधन में शामिल अनेक नेताओं और दलों को पहले भी समस्या थी और उन्होंने सरेआम इसे प्रकट भी किया था

लगातार स्क्रॉलिंग की आदत से हो रहा है 'ब्रेन रॉट'

- ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (ओयूपी) ने 2024 के लिए 'ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। यह शब्द मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के बेकार कंटेंट के प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं को भी बताता है
- विशेषज्ञों के मुताबिक, सरल शब्दों में कहें तो ब्रेन का सड़ना ही इसका असली मतलब है। आपकी इंटेलिजेंस और रचनात्मक सोच डिवेलप नहीं हो पाती। इसे डिजिटल डिमेंशिया भी कहा जाता है, जहां स्क्रीन पर निर्भरता हमारी सकारात्मक सोच को प्रभावित कर देती है। अकेलेपन की आदत को भी बढ़ाती है

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

नामः 'एक देश-एक चुनाव'
नीयतः 'एक पार्टी-एक अधिनायक'

लोक सभा में सोमवार को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का बिल स्वीकार हुआ, लेकिन सच यही है कि इसका चुनाव सुधारों से कोई लेना-देना नहीं। इसका असली मकसद भाजपा के लिए चुनावी लाभ पाना है। लोक सभा और विधानसभा चुनावों में मुद्दे अलग-अलग होते हैं। एक देश-एक चुनाव से स्थानीय जवाबदेही और लोकतंत्र की बुनियादी संरचना खतरे में पड़ती है।

योगेंद्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता
@_YogendraYadav

एक देश एक चुनाव अखिलेश आर्येन्दु

दलगत राजनीति से उठें सियासी दल

केंद्र सरकार की तरफ से कानून मंत्री अर्जुनदेव मेघवाल ने बहुप्रतीक्षित बिल एक देश एक चुनाव को लोक सभा में 17 दिसम्बर को पेश किया, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के चलते हो हंगामा हुआ। इसी के बीच इसकी चर्चा और पारित किए जाने को लेकर मतदान कराया गया। मतदान में बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया है।

यह पहली बार है जब किसी बिल पर विपक्ष के विरोध की वजह से मत विभाजन कराया गया। विपक्ष इससे संविधान पर असर पड़ने की बात कर रहा है तो सरकार इस आशंका को निराधार बता रही है, लेकिन इतना तो इस बार हुआ कि विपक्ष की एक जुटना की वजह से सरकार ने इसे जेपीसी को भेजा, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में इससे संविधान पर असर पड़ेगा या यह विपक्ष का महज प्रोपोगंडा भर है। दो माह पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए 'एक राष्ट्र एक चुनाव' (ओएनओपी) को मंजूरी दिए जाने पर तमाम राजनीतिक दलों और राजनीति के जानकारों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई थीं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने निहित स्वार्थ से ऊपर उठकर इसका खैरमकदम किया। इस साल आम चुनाव में भाजपा ने ओएनओपी की प्रणाली चुनाव जीतने के बाद लागू करने का वादा किया था। यह उसी वादे को इस दिशा में अगला कदम है।

जानकारों का मानना है कि रिपोर्ट में लिखी गई बातें, सिफारिशें और नियम सभी राष्ट्र को मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने के अनुरूप हैं। हालांकि कुछ पार्टियां या बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोग इसे महज भाजपा का एक ध्यान हटाने का एजेंडा कह रहे हैं। यह उनकी सतही सोच का परिणाम ज्यादा लगता है। हकीकत से बहुत दूर। दरअसल, जब देशहित में कोई निर्णय केंद्र सरकार लेती है तो उस निर्णय का भविष्य में होने वाले सभी क्षेत्रों पर असर और समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक असर पर भी गौर करती है। विपक्ष को यह नही भूलना चाहिए कि सबसे पहले देश है फिर कोई दल या मजहब। जो लोग ओएनओपी को विकास का मिशन बता रहे हैं उनके तर्क को भी बगैर दुराग्रह-आग्रह के समझा जाना चाहिए। तभी तो सोच और चिंतन निष्पक्ष माने जाएंगे। एक सकारात्मक तर्क इसके पक्ष में यह भी दिया जा रहा है कि इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है, जो

लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मिसाल के तौर पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 2019 के चुनावों के दौरान तकरीबन 60 हजार करोड़ रुपए की हैरान करने वाली राशि का उपयोग किया गया था। इसमें चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाली राजनीतिक पार्टियों के जरिए वहन की गई लागत और चुनावों के आयोजन में भारत के चुनाव आयोग का खर्च शामिल है। इसके अलावा सुरक्षाकर्मियों की बार-बार तैनाती और स्थानांतरण से जुड़ी पर्याप्त और जाहिर लागतें हैं। ओएनओपी ऐसा दूरगामी देश नवनिर्माण का मिशन होगा जिससे साल भर चलने वाले चुनावों से तकरीबन छुटकारा मिल जाएगा। जाहिर तौर पर बार-बार के चुनाव से जहां विकास और प्रगति में जबरदस्त रुकावट आती है वहीं पर धन-जन-संसाधनों की बेतहाशा बर्बादी को रोकने में मदद मिलेगी। चुनाव आयोग के पूर्व आयुक्त ओपी रावत कुछ सुझाव देते हैं। वे सरकार को इसके लिए चार काम करने की बात कहते हैं, जिसमें संविधान के उन अनुच्छेदों में संशोधन जरूरी होगा, विधान सभाओं के कार्यकाल और राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रावधानों को बदलना होगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक जन प्रतिनिधित्व कानून और सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लाने के नियमों को बदलना होगा। इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव की जगह रचनात्मक विश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था करनी होगी। यानी अविश्वास प्रस्ताव के साथ यह भी बताना होगा कि किसी सरकार को हटाकर कौन सी नई सरकार बनाई जाए, जिसमें सदन को विश्वास हो ताकि पुरानी सरकार गिरने के बाद नई सरकार के साथ विधान सभा या लोक सभा का कार्यकाल पांच साल तक चल सके। ऐसे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसके लागू होने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराहट बढ़ जाएगी। लोक सभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचारी का मानना है कि एक देश एक चुनाव का मुद्दा व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि देश की सभी विधान सभाएं एक साथ भंग हों, जो संभव ही नहीं है।

वहीं पर पूर्व मुख्य चुनाव अयुक्त एस.वाई. कुरैशी का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने का मतलब है आपको स्थानीय निकायों के चुनाव भी साथ कराने होंगे। ऐसे में जनता एक बार बटन दबाए या तीन बार दबाए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि राज्य में चुनाव के बाद किसी एक दल या गठबंधन को बहुमत न मिले तो ऐसे हालात में राजनीतिक अस्थिरता खड़ी हो सकती है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर एक राष्ट्र एक चुनाव पर सवाल किए जा रहे हैं। देखना यह है कि केंद्र सरकार ऐसा कौन सा रास्ता व कदम उठाती है जिससे सबकी सहमति हासिल हो जाए।

ईश्वर व विज्ञान श्रीराम शर्मा आचार्य

वर्ष 1970 के समय केरल के तिरुवनंतपुरम में समुद्र के पास एक बुजुर्ग भगवद्गीता पढ़ रहे थे। तभी एक नास्तिक और होनहार नौजवान उनके पास आकर बैठा, उसने उन पर कटाक्ष किया कि लोग भी कितने मूर्ख हैं विज्ञान के युग में गीता जैसी ओल्ड फैशन्ड बुक पढ़ रहे हैं। उसने उन सज्जन से कहा कि आप यदि यही समय विज्ञान को दे देते तो अब तक देश ना जाने कहां पहुंच चुका होता। इस संक्षिप्त टोका-टाकी के बाद सज्जन ने उस नौजवान से परिचय पूछा तो उसने बताया कि वो कोलकाता से है और विज्ञान की पढ़ाई की है। अब यहां भाभा परमाणु अनुसंधान में अपना करियर बनाने आया है। आगे उसने कहा कि आप भी थोड़ा ध्यान वैज्ञानिक कार्यों में लगाएं, भगवीता पढ़ते रहने से आप कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। सज्जन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो हल्की मुस्कान के हुए जाने के लिए उठे, उनका उठना था कि 4 सुरक्षाकर्मी वहां उनके आसपास आ गए, आगे ड्राइवर ने कार लगा दी जिस पर लाल बत्ती लगी थी। लड़का घबराया और उसने उनसे पूछा 'आप कौन है?' उन सज्जन ने अपना नाम बताया 'विक्रम साराभाई' जिस भाभा परमाणु अनुसंधान में लड़का अपना करियर बनाने आया था उसके अध्यक्ष वही थे। उस समय विक्रम साराभाई के नाम पर 13 अनुसंधान केंद्र थे, साथ ही साराभाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परमाणु योजना का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। अब शर्मसार होने की बारी लड़के की थी वो साराभाई के चरणों में रोते हुए गिर पड़ा। वह बार-बार उनसे माफी की गुहार लगाने लगा। तब साराभाई ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा 'हर निर्माण के पीछे निर्माणकर्ता अवश्य है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता ये महाभारत है या आज का भारत, ईश्वर को कभी मत भूलो।' आज नास्तिक गण विज्ञान का नाम लेकर कितना नाच ले मगर इतिहास गवाह है कि विज्ञान ईश्वर को मानने वाले आस्तिकों ने ही रचा है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले क्यो ना हों?

ईश्वर सत्य है।

रीडर्स मेल

धरातल पर करना होगा काम

दिल्ली एक बार फिर से वायु प्रदूषण की चपेट में आ गई है। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक लगभग 400 के पास या ऊपर भी हो रहा है। कहीं वायु प्रदूषण का खतरा कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक न बन जाए? हालांकि सरकार इससे निपटने के लिए कुछ पाबंदियां लगा रही है। कुछ समय पहले स्विस ग्रुप 'आईक्यू एयर' ने विश्व भर के उन देशों की सूची जारी की है, जिनमें सबसे ज्यादा प्रदूषण है। इस सूची में हमारे देश कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषित बताया गया है। वर्ष 2019 में भी ग्रीनपीस और एयर विजुअल की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत के बहुत से शहरों में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के सात शहर भी शामिल हैं। यदि इस बढ़ते प्रदूषण की चिंता का चिंतन नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं है, जब यह प्रदूषण बहुत बढ़ी मुसीबत खड़ा कर देगा। अगर हमें वायु प्रदूषण से निपटना है तो हमें धरातल पर काम करना होगा, चीन की तरह इसके लिए काम करना होगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मलेरिया से लड़ाई अभी बाकी

देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध के नफा-नुकसान सामने हैं। स्वास्थ्य के लिए अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में तपेदिक (टीबी) एक बड़ी चुनौती बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 2040 तक भारत में 6.2 करोड़ नए टीबी मामलों आने और उनमें 80 लाख मौतों की आशंका जाहिर की है। यह जीडीपी के लिए भी 146 अरब डॉलर तक नुकसानदायक साबित हो सकता है। इससे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होना तय है। इसके विपरीत मलेरिया से काफी हद तक जंग जीतनें को अग्रसर है। कुछ सालों पूर्व दक्षिण-पूर्व एशिया के 8 मलेरिया-प्रभावित देशों के आधे मामले भारत में थे, लेकिन मलेरिया उन्मूलन अभियान से बड़ी सफलता मिली है। डब्ल्यूएचओ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2017 से 2023 के बीच भारत में मलेरिया के मामलों में 69 फीसद और मौतों में 68 फीसद की कमी आई। 2017 में जहां मलेरिया के 64 लाख मामले थे, 2023 में 20 लाख रह गए। इससे मौतें भी 11,110 से घटकर 3,500 रह गई। बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और जागरूकता के कारण मलेरिया का जोखिम प्रति 1,000 की आबादी पर 20 से घटकर 1.5 रह गया, लेकिन अब भी मलेरिया के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बाकी है।

अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

पुलिस सुधार वक्त की मांग

देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर होती है। पुलिस राज्य सरकार के मार्ग निर्देशन में कार्य करती है। प्रायः सभी राज्य सरकार पुलिस को अपने राजनीतिक लाभ एवं वर्चस्व के लिए इस्तेमाल करती है। व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार सुधार की दिशा में सबसे बड़ी रुकावट है। नौकरी पाने से लेकर पदस्थापना और छुट्टी तक के मामलों में घूसखोरी की शिकायतें सुनने को मिलती रहती है। पुलिसकर्मियों के सुख-सुविधाओं का बेहद अभाव है। पुलिसकर्मियों के लिए एक दिन में अधिकतम आठ घंटे की सेवा एवं कार्यकाल की अवधि निर्धारित होनी चाहिए। पुलिस सुधार के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

हिमांशु शेखर, गया
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 122
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त सहायकों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 260

समग्र चर्चा जरूरी

केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में 129 वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया ताकि लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकें। एक अलग विधेयक भी पेश किया गया ताकि विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में भी एकसाथ चुनाव कराए जा सकें। उम्मीद के मुताबिक ही कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया। मोटे तौर पर ऐसा इस आधार पर किया गया कि ये विधेयक संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं और ऐसा करना सदन की विधायी क्षमता के बाहर है। विपक्ष ने कुछ अन्य आपत्तियां भी उठाईं। मिसाल के तौर पर विधेयक में भारत निर्वाचन आयोग को अतिरिक्त शक्तियां देने की बात शामिल है जिसका विरोध किया गया। चूंकि संविधान संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसे में सभी प्रस्तावित प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की उम्मीद की जाती है। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है।

एक साथ चुनाव कराने का विचार नया नहीं है। आजादी के बाद कई सालों तक एक साथ चुनाव होते थे। यह चक्र उस समय बाधित हुआ जब राज्यों की विधान सभाओं को समय से पहले भंग किया गया। इसकी शुरुआत 1960 के दशक के आरंभ में हुई और इसकी वजहें राजनीतिक थीं। विधि आयोग समेत कई संस्थाओं ने भी एक साथ चुनाव की पुरानी व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया है। अभी हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने सर्वसम्मति से इस विचार को बढ़ावा देते हुए आगे की राह की अनुशंसा की। उसे प्रस्तुत विधेयक में देखा जा सकता है। सैद्धांतिक तौर पर यह बात समझी जा सकती है कि लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ कराना समझदारी भरा हो सकता है। चुनावों में राजनीतिक दलों और सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले धन के अलावा भी एक व्यापक नीतिगत पहलू है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार चुनाव होने और सरकार बन जाने के बाद केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक दल शासन और नीतिगत मुद्दों पर वापस लौट सकते हैं। चुनाव की प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों का आचरण अक्सर राज्यों के चुनावों पर निर्भर करता है। कोविंद समिति द्वारा प्रस्तुत तकनीकी विश्लेषण बताता है कि वृद्धि, मुद्रास्फीति, निवेश और सार्वजनिक व्यय आदि पर भी एक साथ चुनाव का सकारात्मक असर होगा।

परंतु एक साथ चुनाव के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों पर चर्चा करने की जरूरत है। संविधान में प्रस्तावित संशोधनों के अनचाहे असर पर भी विचार करना जरूरी है। उदाहरण के लिए विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि लोक सभा की पहली बैठक के बाद पांच साल के समय को सदन का पूर्ण कार्यकाल माना जाएगा। अगर सदन पूरी अवधि के पहले भंग होता है तो भंग होने और पहली बैठक से पांच साल तक के समय को शेष अवधि कहा जाएगा। नए सदन का गठन पांच साल पूरा होने के बाद होगा।

सैद्धांतिक तौर पर देखें तो अगर पहली बैठक के चार साल बाद सदन भंग होता है तो नया सदन केवल एक साल के लिए गठित होगा। चूंकि चुनावी प्रक्रिया में समय लगता है इसलिए सदन का वास्तविक कार्यकाल एक साल से भी कम होगा। ऐसे निष्कर्ष राजनीतिक दलों के चयन को भी प्रभावित कर सकते हैं। एक संभावना यह भी है कि विपक्ष शायद सदन का एक खास अवधि का कार्यकाल पूरा होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए। इसके परिणामस्वरूप सरकार विश्वास गंवाने के बाद भी सत्ता में बनी रह सकती है। ऐसा ही राज्यों में भी हो सकता है। इसके अलावा पांच साल के भीतर लोक सभा या विधान सभा के दो या अधिक चुनाव होने की संभावना एक साथ चुनावों के आर्थिक तर्क को भी कमजोर करती है। संसदीय समिति के अलावा संसद को भी इन सभी संभावनाओं पर चर्चा करनी होगी।

अजय मोहंती

वृद्धि दर का प्रश्न और बचत-निवेश की पहेली

आर्थिक वृद्धि की दर को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए यह जरूरी है कि उसे घरेलू बचत में वृद्धि की मदद से आगे बढ़ाया जाए। बता रहे हैं निखिल गुप्ता

बीते दो सालों में भारत का (नॉमिनल) निवेश सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 33 फीसदी था और 2024-25 में भी यह लगभग उसी स्तर पर रह सकता है। वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में यह 33.8 फीसदी था जो वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही के अनुरूप ही था। यह स्तर महामारी के पहले के साल के 31 फीसदी के स्तर से बेहतर था।

इससे भी महत्त्वपूर्ण बात, देश का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 24 में जीडीपी का 0.7 फीसदी था और वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में यह जीडीपी के 1.6 फीसदी के बराबर रहने की उम्मीद है जबकि वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही में यह करीब 1.2 फीसदी था। वित्त वर्ष 25 में चालू खाते का घाटा जीडीपी के एक फीसदी के बराबर था। वर्ष के दौरान भारत की बचत जीडीपी के 32 फीसदी के बराबर रहेगी जो महामारी के पहले के औसत के अनुरूप होगा। वित्त वर्ष 24 में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.2 फीसदी थी और विगत तीन वर्षों में इसका औसत 8.3 फीसदी रहा। ऐसे में मुझे बचत और निवेश की चिंता क्यों करनी चाहिए? चूंकि चालू खाते का घाटा निवेश और सकल घरेलू बचत (जीडीएस) के बीच का अंतर होता है इसलिए देश के बाहरी घाटे या चालू खाते के घाटे में घरेलू भागीदारों की हिस्सेदारी का विश्लेषण करना दिलचस्प है। किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन भागीदार होते हैं- कॉर्पोरेट सेक्टर (निजी और सरकारी वित्तीय और गैर वित्तीय कंपनियों समेत), सरकार (केंद्र और राज्य सरकारें) और घरेलू क्षेत्र। चालू खाते के घाटे का आकलन इन तीनों घरेलू प्रतिभागियों की बचत और निवेश के बीच के अंतर के रूप में किया जा सकता है।

देश का कारोबारी क्षेत्र एक बड़े विशुद्ध उधारी वाले क्षेत्र से एक ऐसे क्षेत्र में बदल गया है जो मामूली घाटे वाला है। इसका अर्थ यह है कि पिछले कई सालों यानी 2017 से 2024 के बीच से कारोबारी निवेश क्षेत्र की बचत के या तो बराबर रहा है या उससे मामूली अधिक ही रहा है। इससे पहले वित्त वर्ष 2006 से 2011 के बीच विशुद्ध उधारी की दर जीडीपी के 6-8 फीसदी तक रही है।

ऐसा इसलिए कि कारोबारी बचत विगत एक दशक में जीडीपी के 13-14 फीसदी के साथ अपने उच्चतम स्तर पर रही। इस दौरान कारोबारी निवेश जीडीपी के 14 फीसदी के आसपास बना रहा। जबकि वित्त वर्ष 16 तक वह करीब 17 फीसदी था। इसी अवधि में विशुद्ध उधारी भी महामारी के पहले के वर्षों की तुलना में अधिक रही। हालांकि 2021 के बाद से इसमें काफी कमी आई है। ऐसे में परिवारों का शुद्ध अधिशेष हाल के वर्षों में नाटकीय रूप से कम हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2023 में आम परिवारों की वित्तीय बचत जीडीपी के 5.3 फीसदी के साथ कई दशकों के निचले स्तर पर आ गई। हमारा अनुमान है कि 2024 में इसमें कुछ सुधार होगा। कुल मिलाकर इससे संकेत निकलता है कि देश का चालू खाते का घाटा इसलिए नियंत्रित है क्योंकि कारोबारी क्षेत्र सतर्क है।

भविष्य में इसमें बदलाव आ सकता है। अगर कारोबारी निवेश में सुधार होता है तो कारोबारी विशुद्ध उधारी या घाटा बढ़ेगा। अगर मान लिया जाए कि इससे अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा तो कारोबारी घाटे में ऐसा इजाफा या तो चालू खाते के घाटे में इजाफा करेगा या फिर उच्च घरेलू बचत से उसकी भरपाई होगी। यही पहेली है। सरकारी क्षेत्र वित्त वर्ष 26 तक राजस्व घाटे को जीडीपी के 4.5 फीसदी के स्तर तक लाने को लेकर एकदम स्पष्ट रहा है। अब वह तय नहीं कर पा रहा है कि राजकोषीय समेकन जारी रहेगा और अगर हां तो किस गति से? सरकार ने संकेत दिया है कि वह अपना ध्यान ऋण-जीडीपी अनुपात पर केंद्रित करेगी। यह अच्छा विचार हो सकता है। हालांकि उसने यह संकेत भी दिया है कि राजकोषीय समेकन भविष्य में अधिक चरणबद्ध ढंग से हो सकता है।

इसी दौरान बीते दशक में व्यक्तिगत व्यय योग्य आय में धीमी वृद्धि को देखते हुए घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत में इजाफे का अर्थ होगा परिवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय में कमी। इसका असर जीडीपी वृद्धि पर भी पड़ेगा। इसे कमजोर मांग का एक दुष्चक्र शुरू हो सकता है जो कारोबारी निवेश की गति पकड़ने से रोक सकता है।

चाहे जो भी हो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि अगर निवेश जीडीपी अनुपात बढ़ता है तो इसकी भरपाई घरेलू बचत में कुछ हद तक सुधार से होगी और चालू खाते के घाटे में इजाफा होगा। ऐतिहासिक आंकड़े भी ऐसे ही प्रमाण देते हैं। अतीत में जब भी हमारी निवेश दर में वृद्धि हुई है उस समय हमारे चालू खाते का घाटा भी बढ़ा है। 1980 के दशक के मध्य, 2000 के दशक के मध्य और 2010 के दशक के आरंभिक सालों में हम ऐसा देख चुके हैं।

यह मानते हुए कि 8 फीसदी की वास्तविक वृद्धि दर हासिल करने के लिए निवेश अनुपात को 3-4 फीसदी बढ़ाकर जीडीपी के 36-37 फीसदी तक पहुंचाना होगा। परंतु हमारे पास बाहरी उधारी की मदद से उच्च निवेश की फंडिंग की अधिक गुंजाइश नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम चालू खाते के घाटे में एक से 1.2 फीसदी का इजाफा होने दे सकते हैं। यानी निवेश में दो तिहाई इजाफा सकल घरेलू बचत में इजाफे के जरिये करना होगा। फिलहाल यह बड़ा काम लग रहा है क्योंकि वित्त वर्ष 26 के बाद राजकोषीय समेकन को लेकर स्पष्टता नहीं है। परंतु क्या हमें वास्तविक निवेश पर नजर नहीं डालनी चाहिए? जब हम इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल-आउटपुट रेशियो का विश्लेषण करते हैं तो बेहतर यही है कि हम वास्तविक शुद्ध जमा निवेश अनुपात पर नजर डालें बजाय कि नॉमिनल सकल निवेश के। वित्त वर्ष 22 से 24 के बीच 33 फीसदी के नॉमिनल सकल निवेश-जमा अनुपात की तुलना में देश का वास्तविक शुद्ध जमा निवेश अनुपात जीडीपी के 23.5 फीसदी रहा।

ऐसे में देश की निवेश दर में तीन-चार फीसदी का इजाफा करने की जरूरत है ताकि 8 फीसदी की वास्तविक जीडीपी हासिल करने की दिशा में बढ़ा जा सके। इसकी पूर्ति उच्च सकल घरेलू बचत से होनी चाहिए और मेरी समझ से यही उच्च वृद्धि के समक्ष सबसे बड़ी पहेली है।

(लेखक मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज में मुख्य अर्थशास्त्री हैं)

रिजर्व बैंक के गवर्नर के नाम खुला पैगाम

प्रिय मल्होत्रा साहब,

बधाई हो। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक के शीर्ष पद पर आपका स्वागत है। आप इस ओहदे के लिए छोड़ में बिल्कुल नहीं उतरे थे। भारतीय रिजर्व बैंक में आपके पूर्ववर्ती शक्तिकांत दास को शायद वैसा ही लगा होगा, जैसा विमल जालान ने वाईवी रेड्डी को अपना उत्तराधिकारी चुने जाने पर महसूस किया था - निरंतरता और बदलाव का संकेत। निरंतरता इसलिए क्योंकि रेड्डी डिप्टी गवर्नर थे और बदलाव इसलिए क्योंकि गवर्नर के तौर पर वह कई नए काम कर सकते थे।

आपके मामले में निरंतरता इसलिए है क्योंकि एक राजस्व सचिव की जगह दूसरा राजस्व सचिव आ रहा है। बदलाव इसलिए क्योंकि आप नए विचार लाएंगे और आजमाएंगे।

दास रिजर्व बैंक में आने से पहले ही राजस्व सचिव का पद छोड़ चुके थे मगर आप राजस्व सचिव थे और रायसीना हिल से सीधे मिंटो रोड चले आए हैं। मगर इसमें हैरत की बात नहीं है। सितंबर 2008 में डी सुब्बाराव को भी सीधे नई दिल्ली से लाकर रिजर्व बैंक में बिठाया गया था। सुब्बाराव की तरह आप भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के टॉपर रहे हैं। आप दोनों ने ही आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। आप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गए और सुब्बाराव मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए थे।

समानताएं यहीं खत्म हो जाती हैं। आपको जो काम करना है वह सुब्बाराव के काम से बहुत अलग है। सुब्बाराव ने अमेरिकी निवेश बैंक लीमन ब्रदर्स होल्डिंग्स के डूबने से हफ्ते भर पहले ही केंद्रीय बैंक की बागडोर संभाली थी। लीमन के डूबने से समूचे अटलांटिक के आर-पार वित्तीय संकट पैदा हो गया था। आपके सामने अलग तरह की चुनौतियां हैं। आप रिजर्व बैंक में तब आए हैं जब वृद्धि और मुद्रास्फीति का समीकरण बदल रहा है और रुपया गिर रहा है।

मुद्रास्फीति को उदारीकरण के बाद हर गवर्नर को अलग तरह की जिम्मेदारी मिली थी। दास को बहुत कठिन जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पांच ट्रिलियन डॉलर के पार जाने का ख्वाब बुन रही अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के कारण आई तकनीकी मंदी के गर्त में फंस गई। इससे निपटने के लिए दास ने ब्याज दरें इतनी कम कर दीं, जितनी देश में कभी नहीं रही थीं, बैंकिंग तंत्र में जमकर रकम झोंकी और ऐसे कदम उठाए, जिनमें से कुछ तो किसी ने देखे या सोचे भी नहीं थे।

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

बतौर गवर्नर एस वेंकिटरमणन, जालान, रघुराम राजन और सुब्बाराव को भी इमरजेंसी से गुजरना पड़ा था। जालान उस समय रिजर्व बैंक पहुंचे थे, जब पूर्वी एशिया संकट अपने चरम पर था और रुपया दिनोंदिन गिरता जा रहा था। राजन का सामना अमेरिकी बॉन्ड की लगातार चढ़ती यील्ड से हुआ क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने राहत का अपना कार्यक्रम रोकना शुरू कर दिया था। साथ ही उन्हें लुढ़कते रुपये, चालू खाते के बढ़ते घाटे और बढ़ती महंगाई से भी जूझना पड़ रहा था। वेंकिटरमणन के गवर्नर रहते हुए ही 1991 में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में इसे रंगराजन ने आगे बढ़ाया। तकरीबन चौथाई सदी बाद ऊर्जित पटेल का कार्यकाल अग्नि परीक्षा सरीखा रहा, जब नवंबर 2016 में भारत ने बड़े नोट बंद कर दिए।

रेड्डी का कार्यकाल संभवतः सबसे अच्छा रहा, जिसमें आखिर तक वृद्धि दर ऊंची रही और मुद्रास्फीति कम रही। अपने पूरे कार्यकाल में रेड्डी नीतिगत दरें बढ़ाते रहे मगर ऋण की मांग में या आर्थिक वृद्धि में कोई कमी नहीं आई। इसे अर्थशास्त्री भी नहीं समझ पाए। बहुत से लोग इसे जालान की विरासत का फल मानते हैं। भारत में नियम-कायदे पहले ही काफी सख्त थे मगर रेड्डी उन्हें और भी सख्त बनाते रहे। अर्थव्यवस्था को मज़बूत रखने के लिए उन्होंने कई कदम भी उठाए, जो 2008 की मंदी के दौरान सुब्बाराव के बहुत काम आए। मुझे पूरा भरोसा है कि पिछले गवर्नरों की तरह आप भी कामयाब रहेंगे।

मैं आपको सलाह देने की गुस्ताखी तो नहीं करूंगा मगर केंद्रीय बैंक के कामकाज को करीब से देखने वाले शख्स की हैसियत से मैं इस खुली चिट्ठी के जरिये कुछ समस्याएं सामने रख रहा हूं और बिन मांगी सलाह भी दे रहा हूं। सितंबर 2024 में समाप्त तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 5.4 फीसदी बढ़ा, जो 6.5 फीसदी के सभी के अनुमान से काफी कम है। यह सात तिमाहियों की सबसे कम दर रही और पिछली तिमाही के 6.7 फीसदी वृद्धि से बहुत नीचे भी है। इसके बाद रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की दिसंबर बैठक में वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.2 फीसदी से घटाकर 6.6 फीसदी कर दिया।

इसने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति का अनुमान भी 4.5 फीसदी से बढ़ाकर 4.8 फीसदी कर दिया क्योंकि सीपीआई महंगाई अक्टूबर में 6.21 फीसदी तक चढ़ गई, जो पिछले 14 महीनों में इसका सबसे ऊंचा आंकड़ा था। सितंबर में यह 5.49 फीसदी ही थी। यह बात अलग है कि नवंबर में मुद्रास्फीति थोड़ी नरम होकर 5.48 फीसदी रह गई।

वृद्धि घट रही है तो उपभोक्ता मांग बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक को दरें घटानी चाहिए। महंगाई बढ़ रही है तो मांग को काबू में करने के लिए दरें बढ़ानी चाहिए। किताबों में तो यही लिखा है। मगर यह इतना आसान भी नहीं होता। वक्त और हालात के हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं। अक्टूबर में रिजर्व बैंक ने अपना रुख सख्त से बदलकर तटस्थ कर लिया। इसके बाद दिसंबर में इसने नकद आरक्षी अनुपात घटा दिया तो क्या महंगाई ऊंची रहने पर भी फरवरी में यह दर कटौती शुरू कर देगा? कर सकता है बशर्ते इसे यकीन हो कि मुद्रास्फीति घटना तय है और वृद्धि लड़खड़ा रही है।

मुद्रा की चाल भी चिंता का विषय है। डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है। विदेशी मुद्रा बाजार में उठापटक रोकने के लिए रिजर्व बैंक डॉलर बेचता आया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 27 सितंबर को 704.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया था मगर 6 दिसंबर को घटकर 654.9 अरब डॉलर रह गया। रिजर्व बैंक को कितना उतार-चढ़ाव होने देना चाहिए? कभी-कभी लगता है कि रिजर्व बैंक अभिमन्यु है, जो विदेशी मुद्रा बाजार के चक्रव्यूह में घुस तो गया है मगर वहां से निकलने का रास्ता नहीं जानता। क्या उसे उठापटक रोकने के लिए डॉलर का भंडार खर्च करने के बजाय रुपये को कुछ कमजोर होने देना चाहिए? आप इस पर कुछ सोच सकते हैं।

वृद्धि, रुपये की चाल और मुद्रास्फीति से परे नियामकीय क्षेत्र में भी कुछ मसले आपका इंतजार कर रहे हैं। इनमें एक संभावित ऋण घाटे से जुड़े नियम हैं, जिन पर बैंकों को आपत्ति है क्योंकि उन्हें संभावित ऋण घाटे के लिए कुछ रकम अलग रखनी पड़ेगी, जिससे उनके मुनाफे पर असर पड़ेगा। मगर उनकी बैलेंस शीट की जोखिम सहने की क्षमता बढ़ाने के लिए यह जरूरी भी है।

आखिर में कई लोग केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता पर चर्चा कर रहे हैं और जब भी वित्त मंत्रालय का कोई आला अफसर रिजर्व बैंक चलाने आता है तो ऐसी चर्चा होती ही है। मगर इतिहास गवाह है कि किसी भी गवर्नर ने रिजर्व बैंक की स्वायत्तता कम नहीं होने दी। उम्मीद है कि परंपरा जारी रहेगी। हालांकि वृद्धि और मुद्रास्फीति का समीकरण बदल गया है और रुपया कमजोर है मगर वृहद आर्थिक स्थिरता पहले जितनी ही ठोस है तथा बैंकिंग क्षेत्र बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। मुझे यकीन है कि रिजर्व बैंक में आपका समय सुखद रहेगा।

सादर

आपका पक्ष

विश्व शतरंज चैंपियन गुकेश

हाल ही में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप को कुछ रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने के लिए याद किया जाएगा जो आने वाली पीढ़ियों की यादों में गहराई से अंकित रहेंगे। 18वें विश्व शतरंज चैंपियन, डोम्माराजू गुकेश यह खिताब हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। लेकिन जो बात इस जीत को खास बनाती है वह है कठिन प्रतिद्वंद्वी डिंग लिरेन के खिलाफ तीन सप्ताह तक चली शुरुआती हार के बाद उल्लेखनीय वापसी। वास्तव में हमारा नया शतरंज राजा पहले ही विश्व मंच पर आ चुका है क्योंकि विश्वनाथन आनंद ने 2000 में पहली बार जीत हासिल की थी। उन्होंने इस खेल की शोभा बढ़ाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में गैरी कास्परोव को पीछे छोड़ दिया। एक पुरानी कहावत है कि एक होनहार बच्चे के गुण छोटी उम्र से ही स्पष्ट हो जाते हैं, यह गुकेश के कौशल पर भी लागू होता है। यह तब सटीक रूप से सामने आया जब उन्होंने 12 साल की उम्र में ग्रैंडमास्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की। उन्होंने अपनी उम्र से कहीं आगे जाकर अपनी परिपक्वता का प्रदर्शन किया है।

विजय सिंह अधिकारी, नैनीताल

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में मंगलवार को विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश को सम्मानित किया

सख्त साइबर कानून बने

साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुख्ता उपायों की आवश्यकता है। सरकार को साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान को मजबूत करना चाहिए ताकि लोग साइबर ठगी के तरीकों से अवगत हों। साथ ही साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून बनाकर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। डेटा सुरक्षा मानकों को मजबूत बनाना और उन्नत साइबर सुरक्षा तकनीकों को लागू करना भी आवश्यक है।

राजूराम प्रजापत, नागौर

सुरक्षा तकनीकों का सशक्तीकरण जरूरी

साइबर ठगी से बचने के लिए सबसे प्रभावी उपाय के रूप में लोगों को पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने और संदिग्ध लिंक से बचने के प्रति जागरूक करना चाहिए। बैंक और डिजिटल प्लेटफॉर्म को डेटा सुरक्षा मजबूत करने के साथ ही सतर्कता और तकनीकी सशक्तीकरण भी आवश्यक है। सरकार द्वारा सख्त साइबर कानून लागू करने, साइबर अपराध नियंत्रण इकाइयों की स्थापना और त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करना जरूरी है। जागरूकता अभियान के साथ ही साइबर सुरक्षा तकनीकों को नियमित रूप से अपडेट करते रहना चाहिए।

वर्षा अग्रवाल, भोपाल

धोखाधड़ी की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो

देश में बढ़ते साइबर अपराध या धोखाधड़ी मामले के लिए साइबर क्राइम सेल को चुस्ती दिखानी चाहिए। धोखाधड़ी की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ताकि, साइबर चोरों को संभलने का मौका न मिले। भारतीय रिजर्व बैंक को भी बैंकों को विशेष हिदायत देने की जरूरत है। बैंकों को खासतौर पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए अपनी कार्यप्रणाली को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाना होगा। लोगों को भी साइबर अपराध के प्रति जागरूक होना चाहिए और उन्हें किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया (बीच में) ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 'फिट इंडिया साइक्लिंग ड्राइव' को हरी झंडी दिखाई। साथ ही वह इस पहल में साइकल चलाकर शामिल भी हुए। इसका उद्देश्य साइकिल को परिवहन के एक स्थायी और स्वस्थ साधन के रूप में बढ़ावा देना है।